खण्ड-10 सत्र-10 / अंक 78 सोमवार 4 जून, 2012 / ज्येष्ठ 14, 1934 (शक)

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

चतुर्थ विधान सभा
दसवाँ सत्र

अधिकृत वितरण
(खण्ड-10 में अंक 73 से 80 तक सम्मिलत है)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग
Editorial Board

पी.एन. मिश्रा
सचिव

P.N. MISHRA
Secretary

लाल मणी
उप-सचिव (सम्पादन)

LAL MANI
Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-10 सोमवार, 04 जून, 2012 / ज्येष्ठ 14, 1934 (शक) अंक 78

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	
2.	मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य (विधायक चौ. भरत सिंह पर हुए हमले के संबंध में)	
3.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्र.सं. 102, 105, 106, 109, 110 एवं 117)	
4.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र.सं. 101, 103, 104, 107, 108, 111 से 116 एवं 118 से 120)	
5.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र.सं. 420 से 466)	
6.	विशेष उल्लेख (नियम 280)	
7.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	
8.	विधेयक का पुर:स्थापन: (दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012)	
9.	विधेयक पर विचार एवं पारित करना 1. दिल्ली विवाह पंजीकरण विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक सं. 07) 2. न्यायलय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2012 3. भारतीय मुद्रांक (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2012, (2012 का विधेयक सं 09)	
10.	बजट (2012-13) पर आगे चर्चा	
11.	अनुदान मांगों पर विचार एवं पारित करना।	
12.	विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012	

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-10 दिल्ली विधान सभा के दसवें सत्र का तीसरा दिन अंक 78

दिल्ली विधान सभा
सदन अपराहन् 2.00 बजे समवेत हुआ।
अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :-

1. श्री ए. दयानन्द चंदीला ए.
2. श्री अनिल भारद्वाज
3. श्री अनिल झा
4. श्री अनिल कुमार
5. श्री अरविन्दर सिंह
6. श्री आसिफ मो. खान
7. श्री बलराम तंवर
8. श्रीमती बरखा सिंह
9. चौ. भरत सिंह
10. डॉ. बिजेन्द्र सिंह
11. श्री देवेन्द्र यादव
12. श्री धर्मदेव सोलंकी
13. श्री हरिशंकर गुप्ता
14. डॉ. हर्ष वर्धन
15. श्री हरशरण सिंह बल्ली
16. श्री हसन अहमद
17. प्रो. जगदीश मुखी
18. श्री जयभगवान अग्रवाल
19. श्री जय किशन
20 श्री जसवंत सिंह राणा
21. श्री करण सिंह तंवर
22. श्री कुलवंत राणा

23. श्री मालाराम गंगवाल
24. श्री मंगत राम
25. श्री मनोज कुमार
26. चौ. मतीन अहमद
27. श्री मोहन सिंह बिष्ट
28. श्री मुकेश शर्मा
29. श्री नदं किशोर
30. डॉ. नरेन्द्र नाथ
31. श्री नरेश गौड़
32. श्री नसीब सिंह
33. श्री नीरज बैसोया
34. श्री ओ.पी. बब्बर
35. श्री प्रद्युम्न राजपूत
36. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
37. चौ. प्रेम सिंह
38. श्री राजेश जैन
39. श्री राजेश लिलोठिया
40. श्री राम सिंह नेताजी
41. श्री रमेश बिधूड़ी
42. श्री रविन्द्र नाथ बंसल
43. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता
44. श्री साहब सिंह चौहान
45. श्री सतप्रकाश राणा
46. श्री शोएब इकबाल
47. श्री श्रीकश्ष्णा
48. श्री श्याम लाल गर्ग
49. श्री सुभाष चौपड़ा
50. श्री सुभाष सचदेवा
51. श्री सुमेश
52. श्री सुनील कुमार
53. श्री सुरेन्द्र कुमार
54. श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल
55. चौ. सुरेन्द्र कुमार
56. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
57. श्री वीर सिंह धिंगान

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-10 दिल्ली विधान सभा के दसवें सत्र का तीसरा दिन अंक 78

सदन अपराह्न 2.07 बजे समवेत हुआ

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

(मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रह्लाद सिंह साहनी जी अपना प्रश्न रखिए।

श्री करण सिंह तंवर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-41 प्रस्तुत है :-

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा है पांइट ऑफ आर्डर ऐसे नहीं होता है। अभी सदन की नेता जिस तरह के हालात चल रहे हैं उनके ऊपर अपना वक्तव्य देंगी, उसके बाद कार्यवाही होगी।

Chief Minister : Sir, thank you very much. I would like to inform the House that on 2nd June, 2012 at around 8.30 in the morning, armed miscreants attacked on honourable MLA, Najafgarh Shri Bharat Singh in his office premises. Sh. Bharat Singh got serverely injured in the attach. One of his relative Sh. Dharam Pal also got injured in the firing. They were immediately shifted to the hospital where they are being treated. A case under appropriate sections of law has already been registered. Teams from South-west district Polic are investigating the matter and the services of Special Cell in Crime

Branch of Delhi Police have also been roped in for the investigation. Four person have been apprehended by the police. Two motor-cycles, weapons and cartridges used in the commission of the crime have been recovered. The accused persons, during interrogation, reportedly have disclosed that they were involved in the armed attack. As the House is aware, Sir, some of the MLAs their relatives have reportedly received ransoms or threatening calss in the past from some miscreants. Such an attach and threatening calls are a matter of great concern and are very unfortunate. I, alongwith all my colleagues, severely condemn such activities very very strongly.

Honourable Speaker, Sir, you and I have dicussed the security scenario including the threat perceptions to some honourable MLAs with the Commisioner of Police. The Delhi Police has been made completely aware of the threat perceptions to some of our honourable Members. Commisioner of Police has informed you and me that Security has been provided to some of MLAs and has promised, during our discussion, that adequate security will be extended to MLAs facing any kind of security threats. Some MLAs in the past had taken up with the Honourable Speaker to provide police protection and security to them and I understand that Hounourable speaker had forwarded these requests to the Commissioner of Police for necessary action. I also use this occasion to request the authorities in charge of policing in Delhi to review the security and threat perceptions to our honourable MLAs and to ensure that adequate steps are taken for their safely and security and also to prevent such incidents in future. Thank you very much, Sir.

श्री करण सिंह तंवर :- सर, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है ..... अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये सदन की नेता ने अपना वक्तव्य दे दिया है। लॉ एंड आर्डर पर कल चर्चा होनी है। सीपी यहां पर उपस्थित रहेंगे इसलिए आज यहां पर कोई कुछ न बोले ..... अंतरबाधा....।

श्री करण सिंह तंवर :- XXXXXXXXXXX

अध्यक्ष महोदय :- इन्होंने जो कुछ कहा है, वो कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री करण सिंह तंवर :- xxxxxxxxxxx

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाइये।

श्री करण सिंह तंवर :- xxxxxxxxxxx

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाइये। मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं हैं, आप बैठ जाइये। मार्शल इनको बाहर ले जाइये, मैं नेम कर रहा हूँ, इसको बाहर ले जाइयें

अध्यक्ष महोदय :- ये जो भी बोले हैं, कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री सुनील वैध :- आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सीएम साहिबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने एमएलएज की सुरक्षा को बहुत कंसर्न किया है। पिछले तीन साल से मैं भी थ्रैट कॉल पर हूं और मेरे और मेरे परिवार पर लगभग छह बार कातिलाना हमला हुआ है जिसकी एफआइआर सभी थानों में दर्ज है और मैं अपने और अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए एसएसओ से लेकर पुलिस तक . ..... अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदय :- वैध जी सुनिये, आप बैठिये। आप जो बात उठा रहे हैं, वो जायज है, मैं उसको मानता हूं आपने मुझे भी रिटर्न में दे दिया है कल हाऊस में उसी पर चर्चा होगी तब मैं आपको टाइम दूंगा और जैसा कि सीएम ने कह दिया है और अब उनके बोलने के बाद उस पर चर्चा नहीं होगी, तो मेहरबानी करके आप भी मत बोलिए।

श्री सुनील वैध :- अध्यक्ष जी, तीन साल से मैं आथोरिटीज को ..... अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदय :- जब बात हो गयी है तो बार बार उस बात को क्यों दोहरा रहे हैं ..... अंतरबांधा।

श्री सुनील वैध :- अध्यक्ष जी, आपके ऑफिस में भी लिखकर दे चुका हूं। कुछ नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप बैठिए। श्री प्रह्लाद सिंह साहनी

श्री प्रह्लाद सिंह साहनी :-अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 102 प्रस्तुत है।

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि श्री विश्वनाथ सन्यास आश्रम, बेला रोड़ सिविल लाइन से विद्यार्थी एवं श्रद्धालु रिंग रोड पार करके यमुना में स्नान एवं पूजन करने के लिए जाते हैं तथा रोड़ पार करते समय अक्सर इस जगह पर दुर्घटना होती रहती है।

ख) यदि हां, तो क्या इस जगह पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की कोई योजना है, और

ग) यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी

विकास मंत्री :

क) जी हां।

ख) जी हां, यहां एक फुट और ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है। सब-वे कमेटी की मंजूरी के बाद योजना को अंतिम रूप दिया जायेगा।

ग) इस फुट ओवर ब्रिज के लिए फिजिबिल्टी रिपोर्ट बनने के बाद दिनांक 05.03.2012 को सब-वे सब-कमेटी द्वारा निरीक्षण किया गया था तथा 29.03.2012 को अपनी रिपोर्ट सब-वे-कमेटी को संस्तुति हेतु भेज दी गई है। सब-वे कमेटी द्वारा अगली बैठक में निर्णय लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- साहनी जी।

श्री प्रह्लाद सिंह साहनी :- अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसको जल्दी करा दें क्योंकि यहां पर काफी डैथ हो चुकी है, वहां जो स्टूडेट है, वो जाते हैं और काफी वारदातें हो चुकी हैं, इसको जितना जल्दी हो सके तो करा दें।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी

लोक निर्माण मंत्री :- सर, जिस तरह मैंने पहले भी प्रश्न का जवाब दिया है कि सब कमेटी साइट इंस्पेक्शन वगैरह करके और उसके, वो तो मैंने आंसर में भी बताया आपको और उनकी एक रिपोर्ट हमारे पास आ जाए फिर हम अपने डिपार्टमेंट से उसको रिकमंड करके, हाँ इतना जरूर है कि जल्द से जल्द कार्य को कराने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री वीर सिंह धिंगान, अगला प्रश्न।

श्री वीर सिंह धिंगान :- सर, जिस तरह मैंने पहले भी प्रश्न का जवाब दिया है कि सब कमेटी साइट इंस्पेक्शन वगैरह करके और उसके, वो तो मैंने आंसर में भी बताया आपको और उनकी एक रिपोर्ट हमारे पास आ जाए फिर हम अपने डिपार्टमेंट में उसको रिकमंड करके, हाँ इतना जरूर है कि जल्द से जल्द कार्य को कराने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री वीर सिंह धिंगान, अगला प्रश्न।

श्री वीर सिंह धिंगान : सर, प्रश्न संख्या 105 प्रस्तुत है :-

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बातने की कृपा करेंगी कि :-

क) सरकार महिला एवं बाल कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनाएँ चला रही है; और

ख) और योजनाओं से जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री :- अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 105 का उत्तर प्रस्तुत है-

क) दिल्ली में महिलाओं के कल्याण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएँ चलाई जा रही है :-

- विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन योजना। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यकों को 1500 रूपयें पेंशन दी जाएगी।
- विधवा महिलाओं की पुत्रियों तथा अनाथ कन्याओं की शादी के लिए 25000 रूपये एकमुश्त राशि देने की योजना। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पंसख्याकों को 30000 रूपये दिये जाएंगे।
- लाडली योजना।
- प्रियदर्शन कामकाजी महिला हॉस्टल, विश्वास नगर, दिल्ली।
- महिला कार्य केन्द्र।
- घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिलाओं की 'घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 17 संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा नियुक्त किए गए हैं।
- दहेज निरोधक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामित किया गया है।

- दिल्ली महिला आयोग, दूसरी मंजिल, सी ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली।
- निराश्रित गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रय गृह।
- इन्द्रा गांधी मातृत्व सहयोग योजना।

इन महिलाओं के अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निम्नलिखित गृह चलाए जा रहे हैं :-

- निर्मल छाया, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली।
- अल्पावास सदन, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड़, नई दिल्ली।
- महिला आश्रम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड़, नई दिल्ली।
- अभय महिला आश्रम, निर्मल छाया, परिसर, जेल रोड़, नई दिल्ली।

बाल कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएँ चलाई जा रही हैं :-

- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 21 बालगृह चलाए जा रहे हैं।
- 41 बालगृह एवं 15 ओपन सेंटर होम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं।
- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 बाल कल्याण समितियाँ चलाई जा रही हैं।
- समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत 94 परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत 10607 आंगनवाड़ी केन्द्र चलाए जा रहे हैं।
- 8 डे केयर सेन्टर बच्चो के लिए चलाये जा रहे हैं।

ख) सरकार इन योजनाओं को सुचारू रूप से लागे करने के लिए सदैव तत्पर रहती है एवं योग्य लाभार्थियों को लाभांवित किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। तरविंदर मारवाह जी। एक मिनट, धिंगान साहब को एक प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री वीर सिंह धिंगान :- अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार इसका भुगतान कितने दिन में हो जाता है?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री :- अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय सदस्य वीर सिंह धिंगान जी को बताना चाहूँगी कि विधवा की बेटी के शादी के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और उसको हम पूरी तरह से लागू भी कर रहे हैं कि शादी से पूर्व इसका भुगतान किया जा रहा है और आज की तारीख में विधवा की लड़की की शादी का। दिल्ली में कोई भी केस पेंडिंग नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- तरविंदर जी।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह :- अध्यक्ष जी, मैं मैडम से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि अभी-अभी पीछे इन्होनें जिन विधवाओं की और 60 साल से ऊपर उम्र वाले थे, उनकी पेंशन पहले पोस्ट ऑफिस से मिल रही थी, अभी उनको बैंकों में जाने के लिए कहा और उसमें उनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए मंत्री जी बताये। दूसरा, एक यह बताये कि जो विधवा की बेटी की शादी के लिए टाइम निश्चित क्यों नहीं करते कि इतने दिन में फार्म भरा जाएगा, इतने दिन में उसके एकाउंट में वो भी उसके एकाउंट में ही पैसे भेजे, उसकी पेंशन तो वैसे ही लगी होती है, तो उसके एकाउंट में, एक टाइम निश्चित करे जिससे वे परेशान न हो, जितनी इस टाइम इस चीज़ में परेशानी चल रही है, अध्यक्ष जी, किसी

चीज़ में परेशानी नहीं होती जितनी आज के दिन में परेशानी हो रही है। मैडम, इसमें जरा कड़ा कदम उठाये।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री :- अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य के क्षेत्र में भी कोई केस पेंडिंग नहीं है और साथ-साथ शायद मेरे बाकी साथी इस बात से सहमत होंगे, अब सब को बहुत समय से विधवा की लड़की की जो शादी के पैसे मिल रहे हैं और बहुत से हमारे एमएलएज साहेबान ने ही यह रिक्वेस्ट की थी, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उस तरह से पूरा करें, कि वो खुद चैक्स देना चाहते हैं इसको हम, तो हम उसको बैंक में जमा नहीं हैं क्योंकि सभी सदस्यों की यह ख्वाहिश थी। जितने भी हमारे एमएलएज चैक्स मांगते हैं उनको हम चैक्स पहुँचा रहे हैं साथ ही इन्होंने बात की, एक और जो 60 साल से ऊपर पेंशन जो है उसमें पोस्ट ऑफिस टू बैंक तो अध्यक्ष जी यह सच है यह कैबिनेट का निर्णय भी था और बहुत बहुत से एमएलएज भी बताते थे कि पोस्ट ऑफिस में पेशन स्कीम ठीक से नहीं चल रही है तो हमने दो बार छह-छह महीने का उसमें कंसेशन पीरियड भी दिया और उसके बाद फिर भी हम समझ रहे थे कि बहुत से ऐसे हमारे लाभार्थी होंगे जो कि बैंक में जाएंगे तो उनका ठीक से वहाँ पर ट्रीटमेंट होगा कि नहीं तो हमने अपने सभी साथियों को लिखा और मैं सब का धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि बहुत से एमएलएज ने बहुत मेहनत की और हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर 30 कैम्प हम दिल्ली में लगा चुके हैं, अध्यक्ष जी उसमें और भी जो एमएलएज रिक्वेस्ट करेंगे हम कैंप्प लगा रहे हैं और वहीं पर हम जो बैंक के अधिकारी हैं उनको बुला रहे हैं और वहीं के वहीं हम उनका पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नसीब सिंह जी।

श्री नसीब सिंह :- अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि एस.सी.एस.टी. के जो 1500 की है इन्होंने और माइनोरिटी के लिए उसको

आइडेंटिफाई करने के लिए उनका सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए अब 60 साल की विधवा महिला हो या ओल्ड ऐज हो उसका तो कोई सर्टिफिकेट होगा नहीं, उसको कैसे मानेंगे ये, उसका क्या आइडेंटिफिकेशन का तरीका होगा? दूसरा, क्या ओबीसी को भी इसमें शामिल करने की कोई योजना है?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री :- अध्यक्ष जी, आपकी इज़ाज़त से फिलहाल ओबीसी को नहीं इंक्लूड किया गया है यह कैबिनेट डिसिजन है। एस.सी., एस.टी. और माइनोरिटी को इंक्लूड किया गया है और अध्यक्ष जी, इसके तहत इसका किस तरह से क्रियान्वयन करना है, चीफ सेक्रेट्री के तहत एक कमेटी का भी गठन हो गया है क्योंकि यह सच है शेडयूल कास्ट के तो डीसी से सर्टिफिकेट मिल जाते हैं मगर इस समय माइनोरिटीज का कोई एकदम स्पष्ट प्रक्रिया एवेलेबल नहीं है और ऐसा भी सोचा जा रहा है कि एमएलएज की सर्टिफाई कर दें, मगर क्योंकि किसी एक निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुँचे हैं तो बहुत जल्दी आपको, सदन की प्रक्रिया जब खत्म होगी तो आपको बता देंगे कि किस तरह से **within one week** क्योंकि हाल ही में एक कैबिनेट डिसिजन हुआ है और प्रक्रिया बिल्कुल सही होनी चाहिए कि उसको हम जल्द से जल्द क्रियान्वयन करने का तरीका निर्धारित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री मालाराम गंगवाल।

श्री नसीब सिंह :- अध्यक्ष जी, इसमें ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नसीब जी, एक से ज्यादा आज कोई प्रश्न नहीं पूछेगा।

श्री नसीब सिंह :- अध्यक्ष जी, मैं क्वेश्चन नहीं पूछा रहा, मैं इसी में एक बात कर रहा हूँ ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- क्योंकि आज बजट पास होना है इसलिए मैं लम्बा नहीं करना चाहता और किसी का नाम रह भी जाए तो भी माइंड मत कीजिएगा। श्री गंगवाल साहब।

श्री मालाराम गंगवाल :- अध्यक्ष जी, निराश्रित महिला की क्या परिभाषा है? निराश्रित महिला, पहले ऐसा होता था कि औरतें, माफी चाहता हूँ मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ वे निकल जाया करती थी घर से और कुछ डायवोरसी हो जाते थे लेकिन आज की तारीख में यह हो रहा है कि उनके पति भाग रहे हैं, उनके पास कोई नहीं है और सबूत न होने से वो निराश्रित मानी नहीं जाती है उसमें मैं प्रार्थना यह करना चाहूँगा अध्यक्ष जी, मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के पास जिनके पास कोई सबूत नहीं है उनको हम कैसे ट्रीट करें।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री :- अध्यक्ष जी, वैसे डिपार्टमेंट पति नहीं भगा रहा है, ऐसी परिस्थिति में यहा स्कीम हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के initiative में Introduce हुई वो सिर्फ हिंदुस्तान में दिल्ली में है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बात पर सोचा गया दूसरा अध्यक्ष जी उसकी नियमावली बड़ी फार्म में ही छपी हुई है कि कहीं भी कम्प्लेंट किया हो, हम यह भी नहीं कर रहे एफआईआर लॉज की हो, कंप्लेंट किया हो थाने में, महिला कमीशन में, महिला पंचायतें चल रही हैं दिल्ली में वहाँ पर, ऐसा कोई भी कंप्लेंट वो सिर्फ कंप्लेंट मात्र कि वो रिकार्ड पर तो आये तो उसको हरेक एमएलए जो भी भेज रहे हैं ऐसे आधार पर वो सैंक्शन हो रही है अध्यक्ष जी।

श्री मालाराम गंगावाल :- अध्यक्ष जी, वो महीना अगर .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- शोएब इकबाल जी।

श्री मालाराम गंगावाल :- 10 साल पहले गया है और उसने एफआईआर लॉज नहीं कराई तो वो कहाँ से ट्रीट होगा?

समाज कल्याण मंत्री :- आदरणीय अध्यक्ष जी, बस इतना सा जवाब दूंगी, वो आज की तारीख में भी कर दे ना कि दस साल पहले चला गया।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शोएब इकबाल।

श्री शोएब इकबाल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल है वो इसी से मिलता जुलता है। नम्बर एक, जो तलाकशुदा महिलायें हैं, जिनका डायवर्स हुआ हुआ है। उनके मतालिक सरकार की क्या राय है और उनके लिए क्या मापदंड होने चाहियें। दूसरो ये कि जिनके मां-बाप नहीं है, महिलाये ऐसीहैं जिनके मां बाप नहीं है, उनके लिए क्या स्कीम हैं। तीसरा भाई ने कह ही दिया, वह बड़ा अहम मसला है। अगरचे आप तीनों का विस्तार से उत्तर दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री :- अध्यक्ष जी, जो इन्होंने पहली बात की कि तलाब के मुतलिक, हम तो जिनका तलाक हो गया या उसका पति छोड़ कर चला गया, उसको कुछ पेपर तो दिखाना पड़ेगा ताकि स्कीम का मिसयूज नहीं हो। हम तो यह भी कह रहे हैं कि कम्पलैंट दे दें और इसके साथ-साथ अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दूसरी बात की कि उसके मापदंड क्या हैं तलाक वो तो कोर्ट जाने कि इसका तलाक हो गया। हम तो उस के बीच में नहीं जाते। दूसरा जिनके मां बाप नहीं है, अनाथ है अध्यक्ष जी, निराश्रित में हम अनाथ को भी ले रहे हैं अगर विधवा की लड़की की शादी है, अगर कोई अनाथ है उसकी शादी के भी वहीं 25 हजार रूपये मिलेंगे।

श्री शोएब इकबाल :- अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहता हूँ ..... व्यवधान

अध्यक्ष महोदय :- अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि जिस व्यक्ति के पास पिछले 5 साल का रेजीडेंस

का सबूत नहीं है उसको पड़ोसी से लिखवा करके आप मान्य कर रहे हैं। क्या यह व्यवस्था भी थी अगर एमएलए लिख करके दे तो उसको मान्य माना जायेगा। दूसरा, हमारी ऐसी बहन जो विधवा हो गई हैं, जिनको आप एक मुश्त राशि 10 हजार रूपये देते हैं वो केवल एक साल के अंदर विधवाएं हुई हैं उनको देते हैं या उसको कुछ वर्षों से देने का प्रावधान है। कृपया इसका उत्तर देने का कष्ट करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री :- अध्यक्ष जी, अनिल जी ने जो प्रश्न उठाया जो एक मुश्त राशि दी जाती है, वो तो हमारा डिपार्टमेंट इतना लिबरल है मगर विधवा का जो लाभ मिल रहा है उसको इस्तेमाल करने के बाद नहीं है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है हम implement कर रहे हैं। मगर अगर वो देर से आती है और विधवा की पेंशनधारी वो नहीं है तो हम उसको तब भी 10 बजार की स्कीम खुद ही बता देते हैं कि पहले तुम ये ले लो एक महीने के बाद दूसरी ले लेना। हम लोग उसको जो लेट आ रही है मगर विधवा की पेंशन अभी तक उन्होंने लेनी शुरू नहीं की केन्द्र सरकार की स्कीम उसके लिए है कि जो विधवा हो गयी है उसे एक मुश्त राशि दी जाये। यह तब नहीं कि वो विधवा की पेंशन लेती जा रही है। कृपया आपके क्षेत्र में जो केसिज होते हैं उनकों पहले आप यह कहिये कि इस स्कीम का फायदा उठा लें ताकि एडिशनल दस हजार का हो जाये फिर विधवा की स्कीम का लाभ उठायें। अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने 5 साल के सबूत की बात की है, वह नियम बहुत लिबरन बन गये हैं। जो पड़ोसी हैं, उनके पास कम से कम अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। बहुत से एमएलए अपने ऊपर इसकी जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रहे हैं कि 5 साल से ये रह रहे हैं। उसका मार्किट एसोसियेशन, आरडब्लयूए, पड़ोसी और दस और चीज़ें कभी भी अस्पताल में भर्ती रहा हो वो सब चीज़ें हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चौ. मतीन अहमद जी।

चौ. मतीन अहमद जी :- अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहिबा से कहना चाहता हूं कि एक बार और डाकखाने वालों को मौका देना चाहिए और जो ओल्ड ऐज और विडो हैं उनके बैंक में खाते खुल नहीं पा रहे है और वे काफी परेशान है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री :- अध्यक्ष जी, मतीन भाई सही कह रहे हैं कि मुश्किल जरूर आई है मगर कभी न कभी स्कीम तो वास्तव में करना ही पड़ेगा। एक दो बार किया था तो फिर ये लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं। अब हमारा आपके यहां दस दिन कैम्प लगा दें, हमारे छत्तरपुर में बहुत दिन कैम्प लगाया। जो एमएलए हफ्ता भर का कैम्प मांग रहे हैं हम कैम्प लगायेंगे। मगर कभी न कभी इसको फाईनल सेफ तो देना पड़ेगा। एमएलऐज की शिकायतें आ रही थी कि पोस्ट आफिस में बहुत धांधलेबाजी है। इन्हीं के फायदे में होगा कि पेंशन इनके बैंकों में जाये। अगर सभी लोग सहमत हों तो हम 130 कैम्प लग चुके हैं, पिछले दिनों में 10-12 हजार ट्रांसफर हो गया है। उसमें अध्यक्ष जी, हमारा सिस्टम streamline हो गया है, बहुत से ऐसे निकल रहे हैं जो हैं ही नहीं, लापता हैं। अध्यक्ष जी, सिस्टम भी streamline होगा कि ये कौन लोग हैं जिनकी पेंशन डाकखाने में जा रही है। थैंक्यू।

श्री सुमेश शौकीन :- अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसको स्ट्रीम-लाईन किया है। लेकिन मैं अपनी विधान सभा की एक चिंता उनको बताना चाहूंगा कि इनके डिपार्टमेंट में एक प्रोबलम है कि वो कह रहे हैं कि जो डाकखाने से बैंक में जो पेंशन जा रही है या जो चेंज करवा रहे हैं उन बुजुर्गों को खुद कटावारिया सराय इनके ऑफिस जा कर पेपर जमा कराने पड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या हम 50-100 लोगों को यह उनके फार्मस को इकट्ठा करके अपना कोई रिप्रेजेंटेशन भेज सकें ताकि उसको ठीक करवा करके ले आये जिससे वृद्ध लोगों को दुखी न होना पड़े।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री :- अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं, आप transfer from post-office to bank की बात कर रहे हैं सुमेश जी। उसमें वहां क्यों जाना पड़ रहा है। हम आपके यहां कैम्प लगायेंगे। बैंक के अधिकारी आयेंगे, वहीं खाता खोलेंगे। अध्यक्ष जी, हम सुमेश जी के क्षेत्र में अफसर को कहेंगे कि वो स्पेशली आप से कंटेक्ट करें। वैसे अध्यक्ष जी, मेरी चिट्ठियां सब को गई हैं और डिस्ट्रीक अफसर सभी एमएलेज को कंटेक्ट कर रहे हैं और कहीं कोई गुंजाईश रही हो तो उसको जरूर पूरा करेंगे।

चौं. मतीन अहमद : अध्यक्ष जी, फार्म को ले करके बुजुर्ग को डिस्ट्रीक ऑफिस जाना पड़ता है, उसके लिए सुमेश जी कह रहे हैं।

समाज कल्याण मंत्री :- अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से .... व्यवधान

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, मैंने आपको अलाऊ नहीं किया। आप बैठिए। श्री बलराम तंवर जी।

श्री बलराम तंवर :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जैसे विधवा के लिए दिल्ली सरकार पेंशन देती है और पेंशन से घर का खर्चा चलता है। कई लोंगों की कम उम्र में घर वाली मर जाती है उनको हमारे देहता में रंडवा कहते हैं। अब उसके बच्चे बहुत छोटे हैं और उसकी घर वाली गुजर जाती है वो बाहर काम करने तो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसको अपने बच्चे भी संभालने हैं। अगर उसकी भी मेडम पेंशन कर दी जाये, मेरी यह प्रार्थना है कि ऐसे लोगों की भी पेंशन करवाई जाये।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री :- अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक नए किस्म का प्रश्न उठाया है। जो दस हजार रूपये की स्कीम है उसके बारे में मैं अध्यक्ष जी, बताना

चाह रही हूं कि वो विधवा या जिसकी पत्नी गुजर जाये दोनों के लिए लागू है। It is a Family Benefit Scheme. So the National Family Benefit Scheme क्योंकि मानसिक रूप से हम विधवा को ही दिमाग में लेते हैं तो पुरूष, क्योंकि कई बार अर्निंग मैम्बर पत्नी होती है वो भी totally entitled है दस हजार रूपये के लिए। बहरहाल, I think, as a social-welfare measure हंसने की बात और अगर पति सचमुच पर है और समस्याएं हैं तो इसके बारे में सोचा जा सकता है कैबिनेट लेवल पर सारी बातें सोचनी पड़ेंगी।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ बिजेन्द्र सिंह जी।

डॉ. बिजेन्द्र सिंह :- धन्यवाद अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर पहले आ गया।

अध्यक्ष महोदय :- श्री नीरज बोसोया।

श्री नीरज बोसोया :- अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों के डाकखाने से बैंक में ट्रांसफर करवाया और वेरीफाई हो करके आपके ऑफिस में जमा हो गया है, अब उनको यह कह रहे हैं कि हम आपको अगल महीने की हम 6 महीने की इकट्ठी पेंशन देंगें। इससे प्रोबलम क्या हो रही है जिन लोगों ने हमारे यहां से हमारे यहां फार्म वेरीफिकेशन करके पहुंचाये हैं, उनको पेंशन टाइमली नहीं मिल रही, अगले महीने के लिए कह रहे हैं तो लोग बहुत नाराज हो रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी उनको पैसे दिलवा दो।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री :- अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि पिछले दिनों में जो कैम्प लगे हैं इसमें से 7000 वे भी बैंको में जाम हो चुके हैं और इस इसको तुरंत ही कर रहे हैं। मगर यह सच है कि किसी की कुछ महीनों से ही बंद थी पोस्ट आफिस से बंद थी बैंक में भी ट्रांसफर नहीं कर

रहे थे मगर किसी को भी एक पैसे का नुकसान होने वाला नहीं है। मैं जानती हूं कि इसमें विलम्ब जरूर हुआ होगा और होगा भी in the process of transferring. We will try to expedite it, I assure you. Thank you.

अध्यक्ष महोदय :- श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान :- अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जो 6 बाल विकास समितियां चल रही हैं इस समय वे किसके अण्डर चल रही हैं और इनका क्या विशेष कार्य है?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री :- अध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जैसे गुम हुए बच्चे, इधर-उधर से प्राप्त बच्चे कोई नागरिक ले जा सकता है, कोई एनजीओ ले जा सकता है। पुलिस ले जा सकती है तो वह सिर्फ चाइल्ड वैलफेयर कमेटी के जरिए होम्स में एडमिट किए जाते हैं।

श्री वीर सिंह धिंगान :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जोन में सीमापुर से लगभग 23 बच्चे उन्होंने मुक्त कराए थे, उन बच्चों के मां बाप दूर-दूर की स्टेट से आ करके उन्हें छुड़ाने के लिए हफ्ते भर से लगे हुए हैं और अफसोस की बात है कि वह समिति ठीक से काम नहीं कर रही है क्या उनकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है जिससे वे बच्चों को समय पर छोड़ दें।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए। मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी, इजाजत हो तो मैं माननीय सदस्य से अलग से बातचीत करूं या अभी बतलाना है।

अध्यक्ष महोदय :- हां अभी बतला दीजिए।

समाज कल्याण मंत्री :- अध्यक्ष जी, यह अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने की बात होती है, हमारी हाल ही में झारखण्ड, बिहार, वैस्ट बंगाल आदि राज्यों से मीटिंग भी हो रही हैं। उनकी पुलिस यहां पर आती है उन बच्चों को किसी तरह से रिहा कराती है उनको रात को रखने की या तो जगह नहीं होती या कुछ ऐसा सिस्टम होता है या हमारी पुलिस से कोआपरेशन नहीं होती। उसमें किस तरह से सामंजस्य स्थापित हो यह यहां के रेजिडेंश वैलफेयर, कमिश्नर और तमाम लोगों को मिलाकर हम सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अगला प्रश्न चौ. मतीन अहमद।

चौं. मतीन अहमद :- अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 106 प्रस्तुत है -

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि पूर्वी पहुंच मार्ग पर स्लिप रोड बनाने की कोई योजना है,

ख) यदि हां, तो कब तक इसका निर्माण हो जाएगा, और

ग) यदि नहीं, तो इस स्लिप रोड़ का निर्माण न करने के क्या कारण हैं जबकि दूसरी तरफ इसे बनाया जा चुका है?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री :- अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 106 का उत्तर इस प्रकार है:-

क,ख,ग यह क्षेत्र बीआरटी कॉरिडोर के अन्तर्गत है जो कि DIMTS देख रहा है। कोई भी नई योजना बीआरटी कॉरिडोर में DIMTS द्वारा Integrate कराई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय :- चौ. मतीन अहमद।

चौ. मतीन अहमद :- अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पुश्ता रोड बीआरटी में है यह पूर्वी पहुंच मार्ग है जो आईएसबीटी ब्रिज से सीधा जीटी रोड में आकर टच होता है। यह बीआरटी में नहीं है यह डिम्टस के पास नहीं है यह पीडब्ल्यूडी के पास है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री :- अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यह बिल्कुल ठीक कहा है कि यह पीडब्ल्यूडी के पास है। पर्टीकुलर जो गांधी नगर रोड से पुश्ता की तरफ जा रहा है वह रोड पीडब्ल्यूडी के पास है उसी को DIMTS को हम लोगों ने दिया है लेकिन आप जो स्लिप रोड चाह रहे हैं जो पहला पुराना लैफ्ट-टर्न बना हुआ है उससे काफी पहले एक रोड अगर डाइवर्ट हो जाए तो जो चौराहे के ऊपर जाम की स्थिति बनी होती है उससे लोगों को निजात मिल सके। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मतीन जी को बताना चाहूंगा कि उनको बाकायदा एस्टीमेट बनाने के लिए कह दिया गया है क्योंकि जो चौराहे पर लोग पहुंचते हैं तो अगर लैफ्ट हैंड पहले बन जाए तो उनकी वजह से चौराहे पर कम से कम 50 परसेंट व्हिकल्स नहीं पहुंच पाएंगे और वे पहले लैफ्ट की ओर निकल जायेंगे। यह प्रोपाजल बनाने के लिए मैंने कह दिया है कुछ लैण्ड हम लोगों को डीडीए से इसमें लेनी पड़ेगी, उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी और इनको बनाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान :- अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की रोड जो अभी नगर निगम से आई हैं तो सुन्दर नगरी में कैप्टन मार्ग है जो अभी अभी आई है और उसके साथ साथ रोड़ न. 70 पर एक पम्प हाउस शिफ्ट हो करके आया है क्या उसको भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

अध्यक्ष मंत्री :- मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री :- अध्यक्ष जी, अभी अगला प्रश्न रोडस के ऊपर आ रहा है मैं उसके जवाब में आपको बता दूंगा, यह पर्टीकुलर एक एशिया की जगह मतीन भाई ने अपने एरिया में इण्डीकेट की थी उसको मैंने जवाब दिया है, अभी अगले प्रश्न पर आप पूछ लेना।

अध्यक्ष महोदय :- अगला प्रश्न श्री अनिल चौधरी।

श्री अनिल चौधरी :- अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 109 प्रस्तुत है -

क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) पटपड़गंज विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी राशन की दुकानें हैं,

ख) विगत पांच वर्षों में किती राशन की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं,

ग) क्या उन दुकानों को खोलनें की कोई योजना है, जिनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए थे, और

घ) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 109 का उत्तर इस प्रकार है :-

क) पटपडगंज विधान सभा क्षेत्र में कुल 23 राशन की दुकानें हैं।

ख) विगत पांच वर्षों में पटपड़गंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल दो राशन की दुकानें निरस्त की गई हैं।

ग व घ) इसके लिए अर्धन्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान है जिसके तहत लाइसेंसी को

अपील में अतिरिक्त/विशेष आयुक्त एवं वित्त आयुक्त के पास जाने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अनिल चौधरी।

श्री अनिल चौधरी :- आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र के बारे में जानना चाहता हूं जो आपने पीछे बजट में प्रस्तावित किया है कि दिल्ली को केरोसीन फ्री करेंगे। मेरे क्षेत्र के अन्दर तकरीबन 400-450 ऐसे परिवार हैं जो यमुना खादर के अन्दर रहते हैं और इनको होमलैस कार्ड दिए हुए हैं। जिनके पास घर नहीं है। तो क्या सरकार उनके लिए भी कोई इस तरह की व्यवस्था कर रही है जैसे प्रोविजन किया गया है कि 2000 रू. गैस चूल्हे और सिलेण्डर के लिए दिए जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या सोच रही है यदि मंत्री जी के पास इस तरह का ब्यौरा है तो वे कृपया प्रकाश डालें।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्री :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे स्वयं मिले थे और मीटिंग भी की थी। तब भी मैंने कहा था कि अभी अन्दर प्रावधान किया गया है जो होमलैस हैं उनके लिए जरूर कोई न कोई निर्णय लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- श्री जयकिशन

श्री जयकिशन :- अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो राशन की दुकानें हैं और इनको जो राशन कार्ड अलाट किए गए हैं और जो राशन लाइसेंसधारी कार्डधारियों को राशन नहीं दे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई आज तक की गई है या की जाएगी? दूसरी मेरी प्रार्थना यह है कि दूसरी पुनर्वास कालोनियों में भी जहां कार्ड बढ़े है क्या नए राशन लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी?

अध्यक्ष महोदय :- जयकिशन जी, आपका सवाल रेलेवैट नहीं है क्योंकि अनिल जी ने सिर्फ पटपड़गंज विधान सभा के लिए सवाल पूछा है। इसलिए मंत्री जी का इसका जवाब नहीं देंगे। अगल प्रश्न श्री मालाराम गंगवाल।

श्री मालाराम गंगवाल :- अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 117 प्रस्तुत है -

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

क) क्या सरकार लाडली योजना के तहत हो राशि गरीब कन्याओं को 12वीं कक्षा पास करने पर देती है, उसे महंगाई को देखते हुए बढ़ाने पर विचार कर रही है,

ख) यदि हां, तो यह राशि कब तक और कितनी बढ़ा दी जाएगी, और

ग) क्या लोगों को लाडली योजना का फाम्र मिलने में असुविधा होती है, यदि हां, तो सरकार इन फार्मों की उपलब्धता सहज करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री :- अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 117 का उत्तर इस प्रकार है :-

क) फिलहाल कोई विचार नहीं है।

ख) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं।

ग) लाड़ली योजना के फार्म सभी समाज कल्याण अधिकारियों के कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्यालय, मंत्री कार्यालय और सभी सरकारी एवं एडिड स्कूलों के कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मालाराम जी।

श्री मालाराम गंगवाल :- अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली स्कीम और हमारी बेटियों को जिन्दा रखने की एक बहुत बड़ी स्कीम बनाई थी। उनके उत्तीर्ण करने पर राशि का प्रावधान करना या एक लाख की राशि एकमुश्त देना यह सब, जिसकी वजह से जो भ्रूण हत्याएं हो जाती थी उसके अन्दर बहुत गिरावट आई है। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे छठी, नौवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं के अन्दर फार्म भरते थे उन बच्चों को 12वीं पास करने के बावजूद भी उनके पैसों का भुगतान नहीं हो पाता है। उसके अन्दर हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री :- आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जितना हो सकता है इस स्कीम को अच्छे से चलाया जा रहहा है और हमारे पास संख्या भी है कि कितने बच्चों को राशि हो गई है यह स्कीम 2008 में शुरू हुई थी। अध्यक्ष जी, हम माननीय सदस्य को इसी लिस्ट भेज देंगे।

मुख्यमंत्री :- अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय गंगवाल जी से कहना चाहती हूँ कि जिन जिन बच्चों को नहीं मिली है तो उसकी लिस्ट, क्योंकि वह कम होगी, ये पूरी लिस्ट, क्योंकि वह कम होगी, ये पूरी लिस्ट भेजेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आप वह लिस्ट दे दीजिए और मैडम आप इसे पूरा कर लीजिएगा कि ये हो जाये, जब लिस्ट मिल जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न सभी समाप्त हो गये हैं। अब 280 लेंगे क्योंकि आज बजट भी पास होना है इसलिए अभी से हम 280 के मामले ले रहे हैं। पहला श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री शोएब इकबाल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज भरत सिंह जी का एक प्रश्न लगा हुआ है, कृपया उनका प्रश्न ले लीजिए। हम एक ही साथ हैं,

रूम पार्टनर हैं। मंत्री जी ले लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अभी 15 मिनट बचे हैं, वे मेरे रूम पार्टनर होने के नाते आप उनके प्रश्न का जवाब दे दें। उस पर बहस तो होगी नहीं। आप जैसा चाहें अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है उसका उत्तर देना चाहिए। शोएब साहब प्रश्न रखिये।

श्री शोएब इकबाल :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 110 प्रस्तुत है :-

क) क्या यह सत्य है कि नजफगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग का कोई कार्यालय नहीं है, जबकि इस क्षेत्र में 27 स्कूल, जाफरपुर अस्पताल, दिल्ली पुलिस का प्रशिक्षण केन्द्र व सभी बड़ी सड़कें लोक निर्माण विभाग के विचाराधी हैं?

ख) यदि हां, तो क्या इस विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग का कार्यालय खोले जाने की कोई योजना है, और

ग) यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी

शहरी विकास मंत्री :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 110 का उत्तर प्रस्तुत है :-

क एवं ख) नफजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के मंडल एम-1223 के उप मंडल एम 1231, एम-1232 व एम-1233 तथा वैद्युत उप-मंडल एम-1522 के कार्यालय कार्यरत हैं जिनके अंतर्गत सभी स्कूल राव तुला राम मैमारियल अस्पताल जाफरपुर, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र झरोंदा कलां, इंजीनियरिंग कालेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज है: इनके अतिरिक्त सड़क अनुरक्षण मडल एम-142 को नफजगढ़ क्षेत्र में जल्दी ही स्थानांतरित किया जा रहा है।

ग) नजफगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के पास पहले कोई सड़क नहीं थी, मगर अब दिल्ली नगर निगम द्वारा इस विधान सभा क्षेत्र की 8 सड़कें इनकी लंबाई 54.10 किलोमीटर है, लोक निर्माण विभाग का स्थानांतरित की गई हैं। इसलिए अब एक रोड मंडल एम-142, नजफगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया है जो 15.06.2012 से नजफगढ़ तहसील के कैंपस में कार्य करने लगेगा।

श्री ओ.पी बब्बर :- अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 101 प्रस्तुत है -

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली तथा विशेषकर तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों व भवनों के सुधार एवं मरम्मत के लिए वर्ष 2009-10, 2010-11 व 2011-12 एवं अब तक के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई ? और

ख) उक्त अवधि के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा कितना बजट प्राप्त किया गया?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) 1. दिल्ली के स्कूलों का भवन में सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा खर्च की गई राशि का विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध है।

2. तिलक नगर विधान-सभा क्षेत्र के स्कूलों के भवनों के सुधार एवं मरम्मत के लिए खर्च की गई धनराशि का विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध है।

3. तिलक नगर विधान-सभा क्षेत्र के स्कूलों के नाम की लिस्ट पुस्तकालय में उपलब्ध है।

ख) लोक निर्माण विभाग को मिले बजट का विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध है।

420. श्री साहब सिंह चौहान :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि घौंडा चौक से वजीराबाद रोड यमुना विहार तक की रोड की चौड़ाई 80 फुट है;

ख) यदि हॉ, तो क्या इस रोड को लोक निर्माण विभाग को हसातानांतरित कर दिया गया है;

ग) यदि हां, तो घौंडा चौक से डीटीसी डिपो यमुना विहार तक रोड पर हुए अतिक्रमण को हटाकर 80 फुटा चौडा करके रोड का निर्माण कब प्रारंभ होने की प्रक्रिया होगी;

घ) क्या यह भी सत्य है कि वजीराबाद रोड यमुना विहार से डीटीसी डिपो तक की रोड के दोनों तरफ के नाके व फुटपाथ का निर्माण अपेक्षित है, इन्हें कब तक बनाया जाएगा; और

ड) क्या यह भी सत्य है कि यमुना विहार के पम्पिंग स्टेशन एमसीडी ने पीडब्लयूडी को हाल ही में हस्तानांतरित किए हैं, यदि हॉ, तो बरसात के जाने वाले मौसम को दृष्टिगत कर सभी पम्प जनरेटर चालू स्थिति में हो जायगे और इन पर अपेक्षित कर्मचारी नियुक्त कर दिए जाएंगे?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) जी हां,

ख) इस सड़क का वजीराबाद रोड से लेकर डी.टी.सी. डिपों तक का भाग दिल्ली नगर निगम को लोक निर्माण विभाग को हसतांतरित कर दिया है।

ग) उपरोक्त सड़क के भाग पर सर्वे/स्टडी शुरू किया जा रहा है जिसके बाद सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

घ) ये सड़के हाल ही में लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित हुई है जिनके विकास हेतु सर्वे एवं स्टडी करवाने के बाद अनुमान तैयार किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत इन सड़को पर विकास कार्य किया जाएगा।

ड) जी हां। बरसात में आने वाली समस्याओं को निपटाने हेतु सभी व्यवस्था करा ली जाएंगी।

421. श्री साहब सिंह चौहान :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि 60 फुट से अधिक चौड़ी सभी सड़के पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं?

ख) यदि हां, तो घौंडा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गामड़ी रोड पांचवा पुश्ता एमबी रोड़ से घौंडा चौक होते हुए 66 फुटा रोड मौजपुर रेड लाइट चौक तक की रोड की चौड़ाई मास्टर प्लान के अनुसार 100 फुट चौड़ाई है;

ग) क्या यह भी सत्य है कि उस रोड पर दोनों साईड में अतिक्रमण है; और

घ) इस मास्टर प्लान रोड को कब तक अतिक्रमण हटाकर 100 फुट चौड़ा करके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) जी हां। 60 फुट या इससे अधिक चौड़ाई की अधिकतर सड़कें एम.सी.डी. से स्थानांन्तरित हुई है, परन्तु कुछ सड़के जिन पर एम.सी.डी. का कार्य चल रहा है अभी स्थानान्तरित की जानी बाकी है।

ख) यह रोड़ अभी तक एम.सी.डी. से स्थानांन्तरित नहीं हुई है, एम.सी.डी. द्वारा सूचित किया गया है कि इस रोड़ पर कुछ कार्य अभी चल रहे हैं।

ग) क्र.स.-'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

घ) क्र.स.-'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

422. श्री अनिल कुमार :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग की कालोनी कल्याणवास में स्थित सभी जर्जर व खतरनाक घोषित हो चुके फ्लेटों को गिराया जा चुका है? यदि नहीं तो क्यों?

ख) क्या यह सत्य है कि कल्याणवास में स्थित डाकखाना लाईब्रेरी, डिस्पेंसरी व खाद्य संभरण के कार्यालयों की जगह टूट चुकी है? यदि हां, तो क्या इसकी जगह लोक निर्माण विभाग द्वारा कल्याणवास में कोई स्थाई व अस्थाई इमारत बनाने की योजना है?

ग) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब शुरू किया जाएगा, इसके निर्माण कार्य की समय अवधि क्या होगी व इसके निर्माण कार्य में कुल कितनी लागत आएगी? और

घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में लोक निर्माण विभाग की कलोनियों में लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों के अलावा अन्य सरकारी कार्यालय भी चल रहे हैं? यदि हां, तो इसका विस्तारपूर्वक ब्यौरा दिया जाए?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) जी हां। सभी खतरनाक मकानों को गिराया जा रहा है और यह कार्य 30.06.2012 तक पूरा हो जाएगा।

ख) जी हां। इसके लिए semi permanent इमारत बनाने का टेंडर 04.06.2012 को

प्राप्त होना है एवं जून, 2012 के अंत तक कार्य शुरू होने की संभावना है। यह इमारत छः माह में बनकर तैयार हो जाएगी। इस इमारत पर लगभग रू. 70 लाख की लागत आएगी।

ग) फ्लैटों के पुनःनिर्माण की योजना है। योजना बनाने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु वित्तीय बिड खोलकर परामर्शदाता नियुक्ति कमेटी दिल्ली सचिवालय को दिनांक 28.03.2012 को अनुमोदन हेतु भेज दी गई हैं परामर्शदाता की नियुक्ति उपरांत फ्लैटों के नक्शे एवं प्रारंभिक प्राक्कलन जिसमें Type-II and Type-III quarters in equal nos of Quarters के साथ necessary facilities like shopping complex, dispensary community Centre, OHT/UGT, STP & other services required as per master plan are taken in the scope of work बनाया जाएगा तथा इसमें 4 वर्ष का समय लगेगा।

घ) जी हां। विस्तृत विवरण संलग्न पूरक सूचना के अनुसार है।

विषय :- दिल्ली विधान सभा में दिनांक 04.06.2012 के निर्धारित माननीय विधायक श्री अनिल कुमार द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 422 के संबंध में पूरक सूचना :-

कल्याणवास :-

दिल्ली सरकार आवासीय कालोनी के भवनों में डाकखाना, लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी व खाद्य संभरण जैसी अत्यंत आवश्यक सेवाएं चालू थीं जिन्हे क्षतिग्रस्त मकानों के गिरने की योजना के तहत, अलग अस्थाई भवन निर्माण कर उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्राप्त कर आमंत्रित की गई है जिसे छः महीने में पूरा करने की योजना है। वर्तमान में डाकखाना एवं खाद्य संभरण कार्यालय अस्थाई तौर पर आबंटन के द्वारा सरकारी मकानों में संचालित की जा रही है।

हरिनगर :-

फ्लैट, लं.41-ए, इलेक्शन वोटिंग रजिस्ट्रेशन सेंटर कार्यालय।

फ्लैट, न.41-बी, फूड एंड सिविल सप्लाई का कार्यालय।

गुलाबी बाग :-

1-समाज कल्याण विभाग, 2-फूड एंड सिविल सप्लाई का कार्यालय, 3.-पोस्ट ऑफिस, 4. केंद्रीय भंडार, 5.- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।

नीमरी कॉलोनी :-

1-डिप्टी लेवर कमिश्नर ऑफिस, 2-इलेक्शन ऑफिस, 3.-समाज कल्याण विभाग का सिलाई केंद्र।

तिमारपुर :-

1-पहचान-पत्र कार्यालय, 2-केंद्रीय भंडार

423. श्री मनोज कुमार :- क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:-

क) वर्ष 2009 से आज तक दिल्ली में लोक निर्माण विभाग ने कुल कितने फ्लाई ओवर, फुट ओवर ब्रिज व आंडर पास बनवाए हैं, इसका विधानसभा अनुसार पूर्ण विवरण क्या है;

ख) क्या यह भी सत्य है कि मुंडका विधान सभा खेत्र में नांगलोई फ्लाई ओवर के नीचे सब-वे बना हुआ है?

ग) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

घ) उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से रोड लोक निर्माण विभाग के पास है, इनका पूरा ब्यौरा क्या है?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) विस्तृत विवरण संलग्नक - 'क' 'ख' एवं 'ग' के अनुसार। पुस्तकालय में उपलब्ध है।

ख) जी हाँ।

ग) सब-वे चालू हालत में है जो जनता द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

घ) नजफगढ़ से नांगलोई (रनहोला) तक व एन.एच.-10 ।

424. चौं. मतीन अहमद :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि सीलमपुर मैट्रो स्टेशन के सामने जी.टी.रोड पर फुटओवर ब्रिज बनाने की योजना है।

ख) यदि हां, तो यह कब तक बन जायेगा, और

ग) इस पर कितनी लागत आयेगी?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) जी हाँ।

ख) दिसम्बर 2012 ।

ग) लगभग रू. 1.60 करोड़।

425. चौ. मतीन अहमद :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि शास्त्री पार्क चौराहे पर फ्लाई ओवर बनाने की कोई योजना है;

ख) यदि हॉ, तो यह कब तक बन जायेगा; और

ग) यदि नहीं तो इस चौराहे की समस्या को हल करने की क्या योजना है?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) ऐसा कोई प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

ख) क्र.सं.-'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

ग) यह क्षेत्र बीआरटी कॉरिडोर के अंतर्गत है जो कि DIMTS देख रहा है। कोई भी नई योजना बीआरटी कॉरिडोर में DIMTS द्वारा Integrate कराई जा सकती है।

426. श्री सतप्रकाश राणा :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा 30 मीटर से अधिक चौड़ाई के रोड दिल्ली नगर निगम से ले लिये गये है;

ख) यदि हां, तो क्या कापसहेड़ा-नजफगढ़ रोड भी लोक निर्माण विभाग द्वारा लिया जा चुका है;

ग) दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कौन-कौन से रोड दिल्ली नगर निगम से लोक निर्माण विभाग द्वारा ले लिये गये हैं, इनका पूरा ब्यौरा क्या है?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) जी हां। 30 मीटर से अधिक चौड़ाई के रोड लो.नि.वि. ने दिल्ली नगर निगम से ले लिए है।

ख) जी हां।

ग) जी हां। निम्नलिखित सड़के लो.नि.वि. ने दिल्ली नगर निगम से ली गई हैं :-

1. Najafgarh Dhansa Road to Daurala Border
2. Najafgarh Jharoda Road upto Bahadurgarh Border.
3. Ghewra - Bawana Raod from Rohtak Road to CR Polytechnic.
4. Palam-Dabri Road.
5. Delhi Najafgarh Road from Kakrola drain to Najafgarh.
6. Najafgarh Phirni Road.
7. Pankha Road to Flyover to Mangalapuri Flyover (Sagarpur Road)
8. DDA office to flood drain on Dabari Nasirpur Road.
9. Goela Road from Deenapur Village to Najafgarh Drain.
10. Najafgarh Bijwasan Road (From Kapashera to Jhatikara More)
11. NH-8 to Kapashera Road.
12. Najafgarh Dhansa Road to Jhurjhuri Road.
13. Najafgarh to Rohtak Road via Dichouchan Hiran Kunda Village.

427. श्री सतप्रकाश राणा :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या महिपालपुर-महरौली रोड़ को चौड़ा करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, यदि हां तो इस रोड को कुल कितना चौड़ा किया जाना है;

ख) क्या इस रोड को चौड़ा करने के लिये महिपालपुर एन.एच.-8 से महरौली तक जमीन के अधिग्रहण की भी कोई योजना है; यदि हां तो कुल कितनी भूमि और कहां-कहा पर ;

ग) क्या महिपालपुर-महरौली रोड बसन्तकुन्ज से एन.एच. 8 रंगपुरी की तरफ बाईपास बनाने की कोई योजना बनाई जा रही है, यदि हां, तो इस योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य तय किया गया है?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) इस रोड को चौड़ा करने के लिए डीडीए से जमीन देने हेतु आग्रह किया गया है। डीडीए से जमीन मिलने के बाद ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस सड़क को 75-मीटर चौड़ा किया जाना अपेक्षित है।

ख) पहले चरण में इस सड़के को अंधेरिया मोड तक एवं आरूणा आसफ अली रोड जंक्शन से आधा किलोमीटर आगे तक चौड़ा किया जाना अपेक्षित है। इसमें अधिकतर जमीन डीडीए द्वारा दी जानी है एवं कुछ भाग में निजी जमीन का अधिग्रहण भी किया जाना है। विस्तृत विवरण संलग्नक 'क' के अनुसार है।

ग) बाईपास बनाने का सैद्धांतिक अनुमोदन हो चुका है एवं विस्तृत योजना पर कार्यवाही हेतु Process of consultant appointment प्रगति पर है।

जमीन का ब्यौरा

1. DDA Land Vacant in site.

2. DDA Land use in Scheme as park-Nursery Green Belt & MCD office Adjustice at site.

3. DDA Land use in Scheme and parking Adjust at Site.

4. DDA Land use in Scheme Janti market B/Wall of DDA market Adjust at site.

5. DDA Land use in Scheme Church adjust at site.

6. DDA Land under Encroachment (Khoka, B/wall Nursary, Restourant etc.

7. Land belong to DESU.

8. Awardded land but possession not with DDA Nursery, Office shops Raja Ram market etc.

9. Notified land under litigation Nursery, temporary tin shed and vacant.

10. Land belongs to DMRC.

11. Unacquired land : Part of Harcharan Bagh unauthorized colony, Nursery tin shed, and vacant etc.

427. श्री वीर सिंह धिंगान :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के कुछ मुख्य मार्ग व नाले है;

ख) यदि हां, तो कुल कितने मार्ग व कितने नाले किस-किस नम्बर से जाते हैं;

ग) क्या यह भी सत्य है कि सीमापुरी के इन मार्गों व नालों के सुधार के लिए कुछ अनुमान बनाए गए थे;

घ) यदि हां, तो किस-किस मार्ग को किस-किस कार्य में कुल कितने समय अनुमान बनाए गए थे;

ड) क्या यह भी सत्य है कि सीमापुरी क्षेत्र में मुख्य मार्गों की हालत बेहद खराब है; और

च) यदि हां, तो सरकार इन मार्गों के सुधार कार्यों को कब तक पूरा कर देगी?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) जी हां।

ख) कुल सड़कों की संख्या 8 है। जो कि मार्ग संख्या - 62, 70, 64, 69, 63, 68 लिंक रोड संख्या 65 से 68 व 64 से 62 जाने जाते हैं। तथा इन सभी मार्गों के नाले इनकी सड़क संख्या से जाने जाते है।

ग) जी हां।

घ) जी हां। सड़क संख्या : 70 के संपूर्ण विकास का एक अनुमान तथा सड़क संख्या : 69 के नाले को ढकने का एक अनुमान बनाया गया है। सड़क संख्या : 70 का अनुमान बनने का कार्य प्रगति पर है तथा एक माह के अंदर दिल्ली सरकार को स्वीकृति हेतु भेज दिया जाएगा।

ड) जी नहीं।

च) क्र.सं.-'ड' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

430. श्री जसवन्त सिंह राणा :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न भवनों की देख-रेख का जिम्मा लोक निर्माण विभाग के मण्डल एम-333 व रोड़ों की देख-रेख का

जिम्मा एम-311 एन के पास है;

ख) क्या यह भी सत्य है कि क्षेत्र में कार्यरत लोक निर्माण विभाग के उक्त मण्डलों द्वारा किये जा रहे कार्यों की कोई जानकारी क्षेत्रीय विधायक को नहीं दी जाती है, और

ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) नरेला विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली सरकार के कुछ भवनों की देखरेख का कार्य लोक निर्माण विभाग के मंडल एम-333 के अधीन है। स्कूल भवनों के कार्य अभी आंशिक रूप में हैं जो कि पहले डीएसआइडीसी को देखरेख में थे। सड़कों की देखरेख का जिम्मा एम-311 के पास है।

ख) इन भवनों में देखरेख/मरम्मत के छोटे-छोटे कार्य होने के कारण इनकी सूचना माननीय विधायक को नहीं दी जा रही थी। भविष्य में प्रत्येक कार्य करवाएं जाने की सूचना माननीय विधायक को दे दी जाएगी। सड़क के कार्यों की जानकारी क्षेत्रीय विधायक को समय-समय पर दी जाती है।

ग) क्र.सं.-'ख' के अनुसार।

431. श्री ओ.पी. बब्बर : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि सर्विस रोड/स्टोर्म वाटर ड्रेन जो बाहरी रिंग रोड के समानांतर है एवं जो गुरू नानक दरबार गुरूद्वारा मनोहर नगर व राष्ट्रीय विरजानंद अध्रं कन्या सीनियर सै. स्कूल जे-ब्लाक, विकास पुरी, नई दिल्ली 18 के सामने है, को 31 जनवरी 2012 तक पूरा किया जाना था, लेकिन आज तक यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है;

ख) क्या यह सत्य है कि स्टोर्म वाटर ड्रेन/सर्विस रोउ जो बाहरी रिंग के समानांतर है उसकी मरम्मत कार्य किया गया था, तथा इस मामले की उद्यतन स्थिति क्या है;

ग) क्या यह सत्य है कि जेजी-2 विकासपुरी से मनोहर नगर न.दि. 18 के समानांतर है, पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निर्धारित समय जून 2012 तक पूरा कर लिया जाएगा;

घ) डिस्ट्रिक्ट सैन्टर जनकपुरी से सीआरपीएफ कैम्प जाने वाली बाहरी रिंग रोड के सौदर्यीकरण की स्थिति क्या है; और

ड) क्या यह भी सत्य है कि ड्रिस्ट्रिक्ट सैंटर जनकपुरी सीआएपीएफ कैम्प जाने वाले बाहरी रिंग रोड के सौन्दर्यीकरण एवं सुधार प्रक्रिया अब तक चल रही है एवं जब तक यह प्रौजैक्ट पूरा कर लिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) यह कार्य लो.नि.वि. द्वारा नहीं किया जा रहा है।

ख) उपरोक्त क्र.सं.-'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं है।

ग) उपरोक्त क्र.सं.-'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं है।

घ) इस सड़क पर सौन्दर्यीकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है क्योंकि इस रोड़ पर पश्चिम विहार से ड्रिस्ट्रिक्ट सैंटर जनकपुरी तक फ्लाई ओवर बनाया जाने की योजना है।

ड) उपरोक्त क्र.सं.-'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं है।

432. श्री श्याम लाल गर्ग :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा पश्चिम विहार में चौ. बलवीर सिंह मार्ग एवं सड़क के दोनों तरफ स्लिप रोड अपने अधीन ले ली है?

ख) पश्चिम विहार में लो.नि.वि. की सड़कों एवं फुटपॉथों, विशेषकर चौ.बलबीर सिंह मार्ग में तहबाजारी दिए जाने की सरकार की क्या नीति है?

ग) क्या दि.न.नि. द्वारा कुछ पार्टियों को पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर तहबाजारी के अधिकार दे दिया है? क्या चौ. बलवीर सिंह मार्ग पर कुछ नई पार्टियों ने सड़क पर खोख लगा एि हैं? और

घ) यदि हां, तो उनको हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) जी हां।

ख) तहबाजरी दिए जाने की नीति लो.नि.वि. के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। यह कार्य दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है।

ग) उक्त मामले में जॉच पड़ताल की जा रही है तथा आवश्यक कार्यवाही उसके पश्चात की ही जायेगी।

घ) ऐसे अनाधिकृत खोखे लगाने के लिए दि.न.नि. ने अनुमति नहीं देती है। अगर कहीं है भी तो उनके लिये लो.नि.वि. द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

433. श्री सुनिल कुमार वैद्य :- क्या लोक निर्माण मंत्री यत बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि त्रिलोक पुरी विधान सभा क्षेत्र में न्यू अशोक नगर स्थित हिंडन कनाल पर दो छोटे पुल व हिंडन कनाल के बायें किनारे के विकास के लिए लोक निर्माण विभाग ने लगभग 9 करोड़ रूपये के एस्टीमेट बनाए थे जो विभाग में काफी समय से लंबित हैं;

ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्य कब तक आरम्भ हो जाऐगें;

ग) यदि नहीं, तो क्यों;

घ) त्रिलोक पुरी विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में किए गए कार्यों का ब्यौरा काम व राशि सहित उपलब्ध करवायें व भविष्य में होने वाले विकास कार्यों का विवरण क्या है?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) लोक निर्माण विभाग ने ऐसा कोई अनुमान नहीं बनाया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा इसके लिए अनुमान प्रेषित किए गए थे। उसके प्रस्तावों पर दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिए हैं :-

1. उत्तर प्रदेश सरकार उपरोक्त कार्य करवाने के लिए दिल्ली सरकार को भूमि स्थानांतरित कर दे तथा कार्य दिल्ली सरकार द्वारा किए जाएं या

2. उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्य के लिए जारी कर दे या

3. उत्तर प्रदेश सरकार उक्त विकास कार्य अपने व्यय शीर्ष से करवाए। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को दिल्ली सरकार के उपरोक्त निर्णयों के संबंध में सूचित कर दिया गया था परंतु अभी तक वहां से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला है।

ख) क्र.स.-'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

ग) क्र.स.-'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

घ) विस्तृत विवरण संलग्न पूरक सूचना के अनुसार।

विषय : दिल्ली विधान-सभा में दिनांक 04.05.2012 के लिए माननीय विधायक श्री सुनील कुमार वैद्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या : 433 के संबंध में।

क्र.स.	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति	कार्य की समापन तिथि
1.	Widening and stregthening of Road Along Ghazipur drain.	dt. 16-10-08 Rs. 1344 lacs	30-04-2011
2.	Extension of Road Along Ghazipur drain from M.P. Road 111 intersection to U.P. Link road (Four laces of balance length 550) & bridge over shahdara drain connection to U.P. Link Road.	dt. 05.05.05 Rs. 437 lacs	30-08-2010
3.	Re-Surfacing by Hot-in-Situ recycling of existing bituminous layer of various road under maintenace Zone M-2. (Road No. 111, 112, 113 under Division M-212)	dt. 03.02.09 Rs. 160 Lacs	March 2012

ख) भविष्य में कराये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा

हाल ही में दिल्ली नगर निगम को लो.नि.वि. को हस्तानान्तरित की गई सड़कों के उन्नयन एवं सुद्डीकरण के कार्यों के अनुमान प्राथमिकता के आधार पर तैयार किये जा रहे है समक्ष प्राधिकारी से प्रशासनिक एवं स्वीकृति व्यय प्राप्त होने के उपरान्त भविष्य में इन मार्गो पर कार्य कराया जायेगा।

434. श्री सुनिल कुमार वैद्य :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि पिछले दिनों त्रिलोक पुरी विधान सभा क्षेत्र की बहुत सारी सड़कें आपके विभाग के अधीन आ चुकी हैं;

ख) यदि हां, तो उन सभी सड़कों की सूची क्या है व इन सड़कों का पुन: निर्माण कब तक पूर्ण होगा;

ग) उपरोक्त सड़कों पर मानसून से पहले नालों की सफाई की क्या योजना है;

घ) उपरोक्त सड़कें पर दिशा निर्देशक लगाने की क्या योजना है तथा यह कब तक पूर्ण होगी; और

ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) जी हां।

ख) सूची संलग्नक-1 के अनुसार है। इन सभी सड़कों का विस्तृत सर्वे किया जा रहा है। जिन कार्यों को लिए जाने की आवश्यकता है तदनुसार निर्णय लिया जाएगा तथा संभावित आवश्यक विकास कार्य सक्षम आधिकारी की स्वीकृति के बाद किए जाएंगे।

ग) नालों की सफाई के कार्य शुरू कर दिए गए हैं तथा मानसून से पहले नालों की सफाई का कार्य पूण कर लिया जाएगा।

घ) इन सड़कों पर दिशा-निर्देशक लगाने के लिए सर्वे किया जाएगा और आवश्यकतानुसार कार्य का अनुमान समक्ष अधिकारी की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। स्वीकृति मिलने के पश्चात् कार्य किया जाएगा।

ड) क्र.सं. - 'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

श्री मोहन सिंह बिष्ट :- क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि राशन एवं तेल डीलरों के खिलाफ विभाग ने दुकानदारों द्वारा दुकाने समय पर खोलने की शिकयते आती रहती हैं,?

ख) क्या यह भी सत्य है कि अप्रैल माह में विभाग द्वारा दुकानें न खोलने की जांच की गई थी ब्यौरा दें कितनी दुकानों की जांच की तथा कितनी बन्द मिली?

ग) क्या यह भी सत्य है कि कई राशन एवं तेल के डिपो, उनकी दुकानों पर माल न होने की स्थिति में भी खोलना जरूरी है,

घ) क्या यह भी सत्य है कि कई राशन एवं तेल के डिपो पर कोटा इतना कम है कि यदि दुकानदार माल न होने की स्थिति में दुकान खुला रखें तो वह अन्य कार्य नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति में उसके परिवार का भरण-पोषण कैसे होगा क्या कभी सरकार ने इस विषय में सोचा है,

ड) क्या सरकार इन राशन एवं तेल के डीलरों के कमीशन को बढ़ाने अथवा उनके परिवार के भरण-पोषण हेतु कोई ऐसी योजना बना रही है जिससे उन्हें दुकाने पूरे समय खोलने हेतु प्रेषित किया जा सके?

ऊर्जा मंत्री :-

क) जी हाँ।

ख) जी हॉ। अप्रैल माह में निम्नलिखित दुकानों की जांच की गई उनका ब्यौरा इस प्रकार है -

कुल जांच की गई दुकानों की संख्या - 1041

कुल बंद मिली दुकानों की संख्या - 293

ग) जी हाँ।

घ) जी हॉ, इसीलिए दिल्ली सरकार ने उचित दर दुकानदारों को राशन एवं मिट्टी के तेल के अलावा कुल 10 उपभोक्ता वस्तुओं को बेचने की अनुमति दे रखी है। जिसकी सूची 'क' संलग्न है।

ड) उपरोक्तानुसार।

श्री मोहन सिंह बिष्ट :- क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा 850 कार्डों पर किरोसीन ऑयल डिपो खोलने का प्रावधान बना हुआ है,

ख) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य हे कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली किरोसीन ऑयल डिपों में 850 से भी ज्यादा कार्डधारी एक ही डिपों पर लगे हैं,

ग) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि डिपो धारकों के अधिकारियों से मिलीभगत के कारण जा रहा है, और

घ) यदि हॉ, तो सभी तेल डीलरों के पास कोटा बराबर नहीं होने के क्या कारण हैं तथा कब तक बराबर कर दिए जांएगे?

ऊर्जा मंत्री :-

क) जी हॉ।

ख) जी हॉ।

ग) जी नहीं।

घ) दुकान पर लगे कार्डो के अनुसार ही कैरोसीन आयल डिपों को कोटा प्राप्त होता है। विभाग की कोशिश यह रहती है कि प्रत्येक दुकान पर कार्डो का वितरण समान रूप में हो। इसके अतिरिक्त कार्डधारियों की सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए निकटतम कैरोसीन आयल डिपों पर कार्ड लगाया जाता है।

437. श्री मोहन सिंह बिष्ट :- क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी राशन की दुकाने तथा केरोसीन ऑयल के डिपो है उनका विवरण दें,

ख) क्या यह भी सत्य है कि एक ही व्यक्ति के नाम तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर एक से अधिक दुकाने हैं।

ग) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि ऐसे केरोसीन ऑयल डिपों धारकों द्वारा कई बार हेराफेरी की शिकायते प्राप्त होती हैं,

घ) यदि हॉ, तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सरकार द्वारा डोर टू डोर कार्डधारकों के निरीक्षण करने की कोई योजना बनाई गई हैं, और

ड) यदि हॉ, तो क्या, नहीं तो क्यों नहीं और कब तक?

उर्जा मंत्री :-

क) करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत राशन की 40 दुकानें तथा केरोसीन ऑयल के 38 डिपो है। सूची 'क' संलग्न है। पुस्तकालय में उपलब्ध है।

ख) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया था जिसमें पति उचित दर दुकान में तथा पत्नी मिट्टी के तेल के दुकान में साक्षेदार थे।

ग) यह मामला संज्ञान में आते ही सक्षम अधिकारी द्वारा मिट्टी के तेल के डिपों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

घ एवं ड) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं।

श्री मालाराम गंगवाल :- क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) सन् 2008 में ए.पी.एल.कार्डों पर मोहर लगाने का कार्य समाप्त किया गया था, क्या सरकार फिर से सफेद कार्डों पर मोहर लगाने की योजना लाने पर विचार कर रही है,

ख) क्या सरकार नए बी.पी.एल व अन्तोदय कार्ड भी बनाने पर विचार कर रही है,

ग) क्या कारण है कि ए.पी.एल पर मोहर लगाने का कार्य काफी समय से लम्बित है,

घ) दिल्ली में इस समय कितने ए.पी.एल., बी.पी.एल, अन्तोदय कार्डधारी राशन लेने का लाभ उठा रहे हैं, और

ड) क्या सरकार ने बी.पी.एल., अनतोदय कार्ड रदद भी किये हैं, उनका विवरण क्या है?

ऊर्जा मंत्री :-

क) जी नहीं।

ख) जी नहीं।

ग) सरकार की नीति अनुसार वर्तमान में ए.पी.एल कार्डों पर मुहर नहीं लगाया जा रहा है।

घ) दिल्ली में विभिन्न कार्डो पर राशन लेने वालों की संख्या निम्न प्रकार है

ए.पी.एल (स्टैम्प्ड)	-	1151119
ए.पी.एल (जे.आर.सी./आर.सी.आर.सी)	-	261676
बी.पी.एल.	-	261505
ए.ए. वाई	-	102923

ड) विभाग ने वर्ष 2009 में बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई कार्डों का बायोमैट्रिक रिव्यू किया था जिसमें 50,655 राशन कार्ड रद्द हो गए।

439. श्री सुनील कुमार वैद्य :- क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह भी सत्य है कि त्रिलोक पुरी विधान सभा क्षेत्र में खाद्य एवं संभरण कार्यालय भवन का निर्माण ब्लॉक 25 त्रिलोकपुरी में होना है,

ख) यदि हाँ, तो यह भवन निर्माण कब तक करवाने की योजना है,

ग) उक्त क्षेत्र में रिक्त दो एफ.पी.एस. दुकानों को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा, और

घ) उक्त विभाग सभा क्षेत्र की एफ.पी.एस. एवं केरोसीन ऑयल डिपों की सूची, दुकानदार के नाम, पते व फोन न. सहित विवरण क्या है और उनको आपूर्ति किए जाने वाले राशन व मिट्टी के तेल की मात्रा क्या है?

लोक निर्माण मंत्री :-

क एवं ख) जी हॉ, खाद्य एवं सभरण विभाग द्वारा स्लम विभाग का भूमि आंवटन करने के लिए एवं दिनांक 20/01/2011 को पत्र लिखा गया था उसके बाद

स्लम विभाग को नक्शे नमूना भी दिनांक 5/5/2011 को भेजा जा चुका है। दिनांक 17/9/2011 एवं 7/2/2011 को पुन: अनुस्मारक पत्र भेजा गया, लेकिन अभी तक स्लम विभाग द्वारा भूमि आवंटन नहीं किया गया है। स्लम विभाग द्वारा भूमि आवंटन किए जाने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही संभव हो पाएगी।

ग) न्यू अशोक नगर क्षेत्र में एक राशन की दुकान खोलने की प्रक्रिया जारी है और इस प्रक्रिया को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

घ) एफ.पी.एस. एवं केरोसीन ऑयल डिपों की सूची 'क' संलग्न है।

Circle 55 List of K.O.D, Tilok Puri

S.No.	KOD No.	Name of Shop	Address	Contact No.
1	1019/73	M/s Raj kumar gupta	11/152 Trilokpuri Delhi	9312532759
2	1247/73	M/s Sumera Kod	6,7/71 Trilokpuri Delhi	9818384832
3	1661/76	M/s Sonu Kod	22,23/03 Trilokpuri Delhi	9211804734
4	1703/76	M/s Janta Kod	26/442 Trilokpuri Delhi	9810415131
5	1868/78	M/s Ramesh Chand	26/33 Trilokpuri Dehli	9873274278
6	2057/79	M/s Shiv Kod	32/262, Trilokpuri Dehli	9213938249
7	2294/81	M/s Gupta Kod	22/482 Trilokpuri Delhi	9999411139
8	2493/82	M/s Ram JI La!	27/275 Trilokpuri Delhi	9312273919
9	2646/83	M/s Parmanand Kod	15-16/07, Trilokpuri Delhi	9312532759
10	2672/83	M/s Verma Kod	Village Chilla Delhi	9818509351
11	2789/84	M/s Sanesh Latl Vishambe	3/244 Trilokpuri Delhi	9810985114
12	2790/84	M/s Ram Pal Servesh Kr.	35/03 Trilokpuri Dehli	9810205518
13	2838/85	M/s Bisht Kod	Village Kotla Delhi	9350806175
14	2845/85	M/s Durga Kod	Village Kotla Delhi	9810803793
15	2980/86	M/s Niyaj Kod	27/376 Trilokpuri Dehli	9899029787
16	3096/87	M/s Kajod and Bholi Kod	5/161 TrilokpuriDehli	9891396769
17	3097/87	M/s Vijay Kumar Kod	6-7/32 Trilokpuri Dehli	9891444497
18	3123/89	M/s Bhim Sen Kunwar Bh	17-18/17 Trilokpuri Dehli	9891077361
19	3127/90	M/s Kamla and Kamal	Hari Singh Mkt Village Chilla	9210309722
20	3252/92	M/s Sonu Kod	New Ashok Nagar Delhi	9971746771
21	3334/92	M/s Shyam Kod	22/487 Trilokpuri Delhi	9711546631
22	3530/92	M/s Janta Kod	Hari Singh Mkt. Village Chilla	22792387
23	3648/96	M/s Shiv Sakti Kod	E/86 New Ashok Nagar	9871660550
24	4029/96	M/s Jyoti Kod	A-576 New Ashok Nagar Delhi 96	9312255218

		LIST OF F.P.S.		
			Circle 55	
s.no	FPS No.	Name	Address	Telephone No
1	1118	M/S Fajluddin store	Shop No-54 27-28 Block T.P	9350150850
2	1142	M/s Jagdish Prasad Aggrawal	Shop No-25-26 27-28 Block T.P	9871971796
3	3325	M/S Nathu Ram Mohan Lal	22/17 Trilok Puri	9971097070
4	4009	M/S Harcharan Lal Gyan Ch.	ShopNo-31/392 T.P	9213769850
5	4050	M/S Narain Dass	Shop No-5 6-7 Block T.P	9313467062
6	4240	M/S Om Prakash Roshan Lal	Shop No-36 6-7 Block Mkt T.P	9313467062
7	4753	M/S Chandan Pal Store	Village- Chilla	9911998719
8	4903	M/S Bihari Lal Goel	7/19 Trilok Puri	9210778089
9	5047	M/S Aggarwal Store	Shop No-30-31 Block-6-7 T.P	9899334326
10	5112	M/S Mustaq Ahmad Ishtaq Ah.	Shop No-69 Block 20-21 T.P	9911579631
11	5312	Makhan lal Dharmvir	6-7/25 trilokpuri	9350210178
12	5314	M/S Gupta Store	Block 15-16 Mkt Trilok Pure	9810890759
13	5633	M/S Kartar Singh	Ch Hari singh Mkt Kotla Village	9891208557
14	5741	M/s Sushil Kumar	Block-07 Trilok Puri Delhi	9350210178
15	5749	M/S Rohan Lal	26/488 Trilok Puri Delhi	9717541716
16	5760	M/S Bishan Dutt Sharma	Block-13 Trilok Puri	9810890759
17	5814	M/S Gautam Store	29/273, Trilokpuri	9350436968
18	5820	M/S Kukreti Store	Block-34 Trilok Puri	9312698274
19	5944	M/S Aggarwal Store	13/198 Trilok Puri	9350902148
20	5964	M/S Bhasin Store	Block-34 Trilok Puri	9868881654
21	6028	M/S Raj Kumari Saroj	36/259 Trilok Puri	9873276303
22	6130	M/S Narang Store	1/495 T.Puri	9911843012
23	6163	M/S Rajasthani Store	21/410 T. Puri	9313313846
24	6479	M/S P. Vijay Laxmi Store	4/1 T. Puri	9810684254
25	6814	M/s Tuli Fair Price Store	Surya Singh Marg Kotla	9312354696
26	6909	M/S Deepak Prou Store	28/261 T. Puri	9873308476
27	6915	M/S Staish Prov Store	Block-32 T. Puri	9811855251
28	6966	M/S Maya Pal Store	18/127 Trilok Puri	9810900159
29	6979	M/S Satbir Ration Store	Block-19 T. Puri	9810205518
30	7001	M/S Nagar Prov. Store	6/240 T. Puri	9810890759
31	7050	M/S Sumita Prov Store	22/413 T. Puri	9911035438
32	7216	M/S Joshi Store	A-147 New Ashok Nagar	9812354696
33	7235	M/S Mohar Singh Tej Pal	Shop No-40-41 Block No-22-23 T.P.	9350392953
34	8455	M/S Gupta Store	A-567 New Ashok Nagar	9312803370
35	8504	M/S Sonu Store	Village- Kotla	9810703845
36	8515	M/s Durga Store	B-69 New Ashok Nagar	9871097070
37	8817	M/S Jindal Store	18/279 Trilok Puri	9871274063
38	8853	M/S Sekhar Store	ED-69 New Ashok Nagar	9818557073

440. श्री कुलवंत राणा :- क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में प्रत्येक वर्ष करोड़ों का अनाज बारिश के कारण बर्बाद हो जाता हैं,

ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में अनाज भंडारण एवं गोदामों की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अनाज बर्बाद हो रहा है,

ग) यदि हाँ तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, क्या भविष्य में अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाने की कोई योजना है, यदि हां तो पूर्ण विवरण दें, और,

घ) दिल्ली में कुल कितने अनाज भंडार है, उनकी क्षमता क्या है, कितनों में खुलें भंडारण की व्यवस्था है व कितने में शैडों की व्यवस्था है, पूर्ण विवरण हैं।

ऊर्जा मंत्री :-

क) भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के आधार पर दिल्ली क्षेत्र में बारिश के कारण कोई भी खाद्यान्न खराब नहीं हुआ है।

ख) जी नहीं।

ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

क्र.स.	**डिपो का नाम**	**कुल भंडारण क्षमता(मैट्रिक टन में)**	
		कवर्ड	**कैप**
1.	माया पुरी	95928	5875
2.	सी.टी.ओ. पूसा	17622	00
3.	ओखला	13362	

कुल भंडारण क्षमता (मायापुरी जिले में)	126910	5875
1. शक्ति नगर	16008	2780
2. घेवरा	122130	14840
3. नरेला	50,000	7230
कुल भंडारण क्षमता (शक्ति नगर जिले में)	126910	5875
कुल भंडारण क्षमता	**315048**	**30725**

441. श्री सतप्रकाश राणा :- क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क) दिल्ली में वर्तमान में विधानसभा अनुसार कुल कितने-कितने राशन कार्ड बने हुए हैं और कितने-कितने कार्ड ऐसे हैं, जिन पर मोहर नहीं लगी हुई हैं,

ख) दिल्ली में किस तारीख के बाद से नए कार्डो पर मोहर लगाने का कार्य बंद है और ऐसे कुल कितने कार्ड हैं, जिन पर मोहन नहीं लगी है,

ग) जिन कार्डों पर मोहर नहीं लगी है, उन कार्डों पर मोहर लगाने या उन कार्डों पर राशन वितरित करने की क्या योजना है और ऐसे कार्डधारियों को कब तक राशन मिलना प्रारम्भ हो जाएगा?

उर्जा मंत्री :-

क) सूची 'क' पुस्तकालय में उपलब्ध है, तथा 15,85,0580 ए.पी.एल कार्डो पर मुहर नहीं लगी है।

ख) 16 अप्रैल 2008 के बाद बने ए.पी.एल राशनकार्ड पर मुहर लगाने का कार्य बंद है, शेष (क) के अनुसार।

ग) फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं हैं।

442. श्री ओ.पी. बब्बर :- क्या उर्जा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :-

क) राशन कार्डधारियों की सुविधा के लिए खाद्य एवं संभरण विभाग को मैत्रीपूर्ण बनाने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

ख) क्या राशन कार्डो में सुधार, नाम जोडने, बदलाव व नाम हटाने का कार्य तत्काल उसी कार्यालय में होना संभव है,

ग) वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने में मददेनजर तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र का राशन ऑफिस सेकिन्ड फलोर से ग्राउंड फलोर में स्थानांतरित करने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और

घ) क्या यह भी सत्य है कि ए.पी.एल. कार्डधारियों को समय पर मुहर न लग पाने के कारण राशन नहीं मिल रहा है?

ऊर्जा मंत्री :-

क) राशन कार्डधारियों की सुविधा के लिए खादय एवं संभरण विभाग को मैत्रीपूर्ण बनाने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

1. सभी कार्डधारियों को कम्प्यूटर से जोड़ने के लिए विभाग द्वारा ई-पीडीएस पोर्टल की स्थापना की गई है जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रबन्धन श्रृंखला द्वारा सभी को जोड़ा जा सका है।

2. राशन प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए राशन प्रणाली से संबंधित सभी सूचनाएं जनता को विभाग की वेबसाईट (www.fs.delhigovt.nic.in) पर

उपलब्ध करा दी गई है तथा उचित दर दुकानों को राशन का आवंटन कम्प्यूटर द्वारा किया जा रहा है।

3. क्षेत्र के पंजीकृत मोबाइल उपभोक्ता को गेहूं और चीनी के आवंटन की सूचना एस.एम.एस. के द्वारा दी जा रही है।

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों की अनियमितताओं को दूर करने के लिए विभाग द्वारा 'सार्वजनिक समस्या निवारण' प्रणाली स्थापित की गई है।

5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यों को अधिक व्यापक बनाने के विभाग द्वारा दुकानदारों को 10 अतिरिक्त उपभोक्ता वस्तुओं को बेचने के लिए अधिकृत किया है।

6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समस्याओं को पंजीकृत करने के लिए विभाग द्वारा टोल फ्री न. 1800-11-0841 की सेवा शुरू की गई है।

7. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में खाद्य एवं संभरण विभाग के मंडल कार्यालय के अतिरिक्त स्थापित जी.आर.जी (जेन्डर रिसोर्स सेंटर) पर भी राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।?

8. नये राशन कार्डों का वितरण आवेदक के घर पर डाक द्वारा किया जाता है।

9. मंडल कार्यालयों व सहायक आयुक्त कार्यालयों का जीर्णो द्वारा करके आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है।

ख) जी नहीं। ये सभी सेवाएं राशन कार्ड के संशोधन में सम्मिलित है जिनके eSLA (Service Level Agreement) के अनुसार 12 दिन के अवधि में सम्पादन किया जाता है।

ग) इस राशन कार्यालय को भूतल पर स्थानांतारित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

घ) जी नहीं, जिन ए.पी.एल. कार्डधारियों ने निर्धारित समय सीमा के अन्दर वांछित दस्तावेज जमा करवाकर राशन कार्डों पर मुहर लगवाई थी उन सभी कार्डधारकों को नियमित रूप से राशन मिल रहा है।

443. श्री मनोज कुमार :- क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा नई राशन की दुकाने नहीं खोली जा रही है,

ख) यदि हॉ, तो इसके क्या कारण है, और कब तक पुन: इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा,

ग) क्या यह भी सत्य है कि एक राशन की दुकान पर 850 से अधिक उपभोक्ता होने पर एक अन्य राशन की दुकान खोलने का प्रावधान है, और

घ) यदि हॉ, तो मुंडका विधान सभा क्षेत्र में जहां 1500 या 2000 से उपर उपभोक्त हैं, वहॉ किस-किस जगह पर राशन की दुकानें आबंटित की गई है?

उर्जा मंत्री :-

क) जी नहीं।

ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

ग) जी नहीं। सामान्यत: राशन की दुकान के लिए 1000 कार्ड तथा तेल की दुकान के लिए 850 कार्डों का प्रावधान है।

घ) अभी इस क्षेत्र में नई दुकान खोलने की कोई प्रक्रिया जारी नहीं है।

444. श्री मनोज कुमार :- क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनेक परिवारों के बी.पी.एल. कार्ड नहीं बने है,

ख) क्या यह भी सत्य है कि इन गरीब परिवारों तक पूरी सहायता राशन पहुंच पाती हैं,

ग) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में कुल बी.पी.एल. परिवारों की संख्या कितनी है,

घ) इनमें से कितनों के पास बी.पी.एल. कार्ड बनाएगी एवं पुराने ए.पी.एल. कार्डों पर मुहर लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगी?

उर्जा मंत्री :-

क) जिन परिवारों ने बी.पी.एल. कार्ड के लिए आवेदन किया था तथा योग्य पाये गये थे उन परिवारों का बी.पी.एल. कार्ड बनाया गया है।

ख) जी हॉ।

ग) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में कुल बी.पी.एल. कार्डधारी परिवारों की संख्या 5476 है।

घ) फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

445. चौ. मतीन अहमद :- क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क) क्या यह सत्य हैं कि दिल्ली में गरीबों को राशन और तेल की जगह नगद पैसा देने की कोई योजना विचाराधीन है,

ख) यदि हॉ, तो यह योजना कब से शुरू हो जाएगी, और

ग) इससे दिल्ली में कितने गरीबों को फायदा होगा और नगद पैसा कितना मिलेगा?

उर्जा मंत्री :-

क) जी नहीं।

ख एवं ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

446. श्री मनोज कुमार :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में अनु.जा. / जन.जा. के कल्याणार्थ कितनी धनराशि वर्ष 2009 से आज तक व्यय की गई है।

ख) अनु.जा/एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएं भविष्य में चलाई जाएगी।

ग) क्या अनु.जा/जन.जा/अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु सहायता देने के लिए कोई योजना बनाई गई है, यदि हों, तो उसका विवरण क्या हैं; और

घ) उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति/जन.जा./ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग मजदूरी कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है और उनके लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई हैं?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) अनुलग्नक 'क' पुस्तकालय में उपलब्ध है।

ख)

ग एवं घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना व वार्षिक योजना 2012-13 में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा अनुलग्नक 'ख' पुस्तकालय में उपलब्ध है।

श्री कुलवन्त राणा :- क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) रिठाला विधान सभा में अनुसूचित जाति/जन जाति की कुल कितनी आबादी है,

ख) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर 33 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जाति/जनजाति की है, उसका सम्पूर्ण विवरण मुहैया करवाया जाएं।

ग) चुनाव आयोग दिल्ली/भारत सरकार के अनुसार रिठाला विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ई.बी. में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनंसख्या 33 प्रतिशत से अधिक है, उनकी सूची मुहैया करवाई जाएं।

घ) अनुसूचित जाति/जनजाति के निवास क्षेत्र के विकास जैसे कि नालियों, सड़कों व गलियों के लिए क्या संबधित विभाग द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है, यदि हां, तो पूर्ण विवरण दिया जाएं, और

ड) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति आबादी क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए बजट का अलग से प्रावधान है, यदि हां, तो उसका वार्षिक मद क्या है और उसको किस-किस कार्य के लिए खर्च किया जा सकता है, उसकी नियम व शर्ते क्या हैं?

लोक निर्माण मंत्री :-

क, ख एवं ग) जनगणना 2011 के अनुसार रिठाला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले वार्डों की प्रगणक ब्लाक स्तर पर कुल व अनुसूचित जाति की जनसख्यां से सम्बन्धित विवरण 'क' पर संलग्न हैं, जनगणना 2011 के अंतिम ऑकड़े केवल जिला व तहसील स्तर पर जारी किये गये हैं।

जनगणना 2011 के वार्डस्तर पर ऑकड़े अभी जारी नहीं किये गय है। राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कोई भी अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है। अत: उनके ऑकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

घ) जी हॉ। अ.जा./ज.जा. निवास क्षेत्र के विकास जैसे कि नालियों, सड़कों व गलियों व चौपाल/बारातघर निर्माण से संबंधित योजनाएं विभाग द्वारा पहले से ही जारी हैं।

ड) जी हाँ, विवरण 'ख' पुस्तकालय में उपलब्ध हैं

448. श्री कुलवंत राणा :- क्या शहरी विकास मंत्री क्या बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि अनुसूचित जाति/अ.ज.जाति कल्याण विभाग द्वारा अ.जा. /अ.जन.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है; और

ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की पूर्ण जानकारी व पात्रता की शर्तों की पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री :-

क) जी हाँ।

ख) ब्यौरा अनुलग्नक 'क' पुस्तकालय में उपलब्ध है।

449. चौ. सुरेन्द्र कुमार :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग का फण्ड वर्ष 2009 से लेकर मार्च 2012 तक कहां-कहां खर्च किया गया;

ख) इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

ग) सरकार ने इसके लिये कितना बजट दिया था?

लोक निर्माण मंत्री :-

-1-

(Rs. in Lacs)

Sl.No.	Name of the Scheme	Outlay 2009-10	Exp. upto 31.03.10	Outlay 2010-11	Exp. upto 31.03.11	Outlay 2011-2012	Approx. Exp. upto 31.03.12
I							
1.	Strengthening of dte. for the Welfare of SC/ST/OBC/Min.	176.00	166.56	162.00	96.56	170.50	163.54
2	Financial assistance for purchase of stationery to SC/ST/OBC/Min. student (Class 1st to 12th)	698.00	855.73	3722.00	2639.97	5346.00	9560.10
3	Scholarship/Merit scholarship to SC/ST/OBC/Minorities students (class 1st to 12th)	700.00	448.53	2280.00	1873.95	9044.96	7614.85
3	Merit scholarship for college & professional institution students for SC/ST/OBC/Min	210.00	172.66	245.00	244.86	270.00	270.00
4A	Vocational & Technical scholarship to SC/ST/OBC/Min students	40.00	21.27	40.00	24.92	40.00	39.92
5A	Hostel for SC/ST/OBC/Min boys at dilshad garden	62.00	47.70	85.00	54.99	100.00	109.99
6A	Hostel for SC/ST/OBC/Min girls at dilshad garden	11.00	9.61	13.00	11.68	15.00	15.00
7A	Pre-Examination coaching for SC/ST/OBC/Min students	-	-	-	-	-	--
8A	Dr. B.R. Ambedkar State award for the toppers amongst SC/ST/OBC/Min students in professional/ degree courses	6.00	0.72	3.00	-	2.00	1.92
9A	Reimbursement of tuition fee in Public School to SC/ST/OBC/Min students & SCSP	222.00	192.53	450.00	449.98	500.00	800.00
10A	Educational Loan Scheme	-	-	-	-	--	--

Sl.No.	Name of the Scheme	Approved R.E. 2009-10	Exp. upto 31.03.10	Approved R.E. 2010-11	Exp. upto 31.03.11	Approved Outlay 2011-2012	Approx. Exp. upto 31.03.12
11	Financial assistance to DSCFDC	655.00	650.00	260.00	-	55.00	50.00
13	Delhi Commission for constitution of Delhi Commission for SC/ST **[New Scheme]**	-	-			-	-
14	Funding of 50% share by the government towards development charges for electrification of un-electrified house sites/colonies allotted under 20 pt. programme (TPP) (SCSP)	-	-	-	-	-	-
15	Institution of dr. Ambedkar Ratna Award (SCSP)	-	-	-	-	10.00	-
16	Improvement of SC Basties (SCSP)	1800.00	1506.60	1450.00	1111.40	3300.00	2600.00
17	Construction of hostel for SC/ST girls students at Kasturba Balika vidayalya Ishwer nagar (SCSP)	5.00	-	50.00	4.85	246.54	143.71
18	Multisectoral development programme for minority concentration District-State govt. share	-	-			500.00	500.00
19A	Matri shishu suraksha yojna to SC/ST pregnant women	-	-			1000.00	-
9B	Ante-natal care & institutional delivery to SC/ST women	-	-		"	700.00	-
20	Financial assistance to SC slum dwellers being relocated by DUSIB under Rajeev Ratan Awas yojana	-	-			3700.00	1800.00
21	Setting up of educational hub for SC at Village Bakarwala **[New Scheme]**	-	-			-	-
	Grand Total	**4585.00**	**4071.91**	**8760.00**	**6513.16**	**25000.00**	**23669.03**

श्री प्रहलाद सिंह साहनी :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की बेरोजगार महिलाओं के लिये सरकार द्वारा कोई विशेष अनुदान लाने की सरेजना है;

ख) क्या इसी तरह सरकार द्वारा अल्संख्यकों के बच्चों को स्कूल में पढ़ने हेतु कुछ पैसे आदि देने का कोई प्रावधान हैं;

ग) यदि हां, तो क्या; और

घ) यदि नहीं, तो सरकार कब तक उक्त योजना पर विचार करेगी?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्प संख्यक कल्याण विभाग द्वारा इस वर्ग की बेरोजगार महिलाओं के लिए विशेष अनुदान की कोई अलग से योजना प्रस्तावित नहीं है।

ख, ग एवं घ) अल्पसंख्यकों के बच्चों के लाभार्थ विभाग के द्वारा जा योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, उसका ब्यौरा अनुलग्नक 'क' पुस्तकालय में उपलब्ध है।

श्री माला राम गंगवाल :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों को छात्रवृति देती हैं;

ख) सरकार प्रथम कक्षा से बारहवीं कक्षा तक कितनी छात्रवृति छात्रों को प्रदान करती है, प्रत्येक कक्षा के अनुसार बताएं;

ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति छात्रों का खाता बैंक में खुलवा दिया है, या फिर चैक के माध्यम से या कैश के माध्यम से सरकार अनु. जा./अनु.ज.जा. छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती हैं;

घ) सरकार प्रत्येक वर्ष कितनी राशि अनु.जा./अनु.ज.जा. छात्रों को प्रदान करती हैं; और

ड) क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने पर भी विचार कर रही हैं?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) जी हॉ।

ख) कक्षावार ब्यौरा अनुलग्नक क पर संलग्न हैं।

ग) इस समय छात्रवृति योजनाओं में दी जाने वाली राशि कुछ छात्रों को सीधे ही उनके बैंक खातों में ECS के द्वारा, कुछ छात्रों को चैक के द्वारा और कुछ छात्रों को कैश दी जाती है लेकिन सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आगे सभी छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि ECS के द्वारा उनके बैक खातों के माध्यम से दी जाएं।

घ) योजनानुसार ब्यौरा अनुलग्नक 'क' पुस्तकालय में संलग्न है।

ड) वर्ष 2011-12 में मंत्री परिषद के निर्णयानुसार राशि को पहले ही बढ़ा दिया गया हैं।

452. श्री मोहन सिंह बिष्ट :- क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि निराश्रित महिलाओं की लड़कियों की शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है,

ख) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि निराश्रित महिलाओं की लड़कियों शादी में दी जाने वाली धनराशि में विभाग द्वारा काफी विलम्ब किया जाता है,

ग) यदि हाँ, तो देरी से धनराशि आबंटित करने के क्या कारण हैं,

घ) क्या सरकार इसके लिए कोई नीति अपनाने की योजना बना रही है, और

ड) यदि हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं?

समाज कल्याण मंत्री :-

क) जी नहीं, वर्तमान में केवल विधवा महिला की पुत्रियों तथा अनाथ कन्याओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं होता है।

ग) उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं होता है।

घ) उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं होता है।

ड) उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं होता है।

453. चौं. सुरेन्द्र कुमार :- क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

क) गोकुलपुरी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2009 से लेकर 2012 तक कितनी विधवाओं की बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग दिया गया,

ख) कितने पेंशन केस लंबित हैं, और

ग) कितने पेंशन केस प्रोसेस में हैं उनके नाम, पति/पिता का नाम एवं पते सहित प्रतिलिपि देने की कृपा करें?

समाज कल्याण मंत्री : -

क)	2009 - 10	35
	2010 - 11	35
	2011 - 12	73
		143

गोकुल पुरी विधान सभा क्षेत्र में 2009 से लेकर 2012 तक कुल 143 विधवाओं की बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग दिया गया।

ख) जी नहीं, कोई केस लंबित नहीं हैं।

ग) जी नहीं। कोई केस प्रोसेस में नहीं है।

454. श्री श्रीकृष्ण त्यागी :- क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र संख्या - 2 में कितनी आंगनवाड़ी केन्द्र कहाँ-कहाँ पर चल रहे हैं?

ख) उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र कब स्वीकृत हुए तथा कब से चल रहे हैं व इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

ग) उक्त प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर कौन कौन कर्मचारी / सेविकायें कार्यरत हैं तथा प्रत्येक कितना अनुदान दिया जा रहा हैं?

घ) प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर कौन-कौन से बालक/बालिकाएं आ रहे हैं, उनका पूर्ण विवरण क्या है?

ड) प्रत्येक केन्द्र पर कितनी व क्या-क्या सामग्री आंबटित की जाती है तथा उस पर क्या खर्च प्रतिदिन, मासिक व वार्षिक आता हैं?

समाज कल्याण मंत्री :-

क) बुराड़ी विधान क्षेत्र संख्या - 2 में 179 आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे है। पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

ख) प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर 1 आंगवाड़ी कार्यकर्ता तथा 1 आंगनवाड़ी सहायिका कार्यरत होती हैं। कार्यकर्ता को कुल 4000 रूपये प्रतिमाह (2700 रूपये भारत सरकार द्वारा तथा 1300 रूपये दिल्ली सरकार द्वारा तथा सहायिका को 2000 (1350 रूपये भारत सरकार द्वारा तथा 650 रूपये दिल्ली सरकार द्वारा) रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।

ग) प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर 7 माह से 6 वर्ष तक के लगभग 80 बालक तथा बलिकाएं आते हैं जिनका ब्यौरा विभाग की वैबसाईट www.wedel.in पर उपलब्ध है।

ड) प्रत्येक केन्द्र पर निम्नलिखित सामग्री आंवटित की जाती हैं तथा उस पर निम्नलिखित खर्च होता है :

1. प्री स्कूल किट - 1000 रूपये प्रतिवर्ष
2. मेडिसिन किट - 600 रूपये प्रतिवर्ष
3. अन्य साम्रगी (स्टेशनरी, झाड़ू, पोचा, फिनायल आदि) - 600 रूपये प्रतिवर्ष
4. पूरक पोषाहार - सभी पंजीकृत लाभान्वितों को निम्न आधार पर दिया जाता है -

5 रूपये प्रति बच्चा प्रति दिन

5.5 रूपये प्रति महिला प्रति दिन

6 रूपये प्रति कुपोषित बच्चा प्रति दिन

455. श्री ओ.पी. बब्बर :- क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

क) समाज कल्याण विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं,

ख) घरों / रेस्टोरेंटों में काम करने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से क्या कार्रवाई की जा रही है, और

ग) समाज कल्याण विभाग द्वारा राजधानी को भिखारियों से मुक्त करने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

समाज कल्याण मंत्री :-

क) दिल्ली में महिलाओं के कल्याण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है :-

1. विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए 1000/- रू. प्रतिमाह पेंशन योजना।
2. विधवा महिलाओं की पुत्रियों तथा अनाथ कन्याओं की शादी के लिए 25000 रूपये एक मुश्त राशि देने की योजना।
3. लाड़ली योजना।
4. प्रियदर्शनी कामकाजी महिला हॉस्टल, विशवास नगर, दिल्ली।

5. महिला कार्य केन्द्र।

6. घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिलाओं की 'घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम-2005' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 17 संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा नियुक्त किए गए हैं।

7. दहेज निरोधक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामित किया गया है।

8. दिल्ली महिला आयोग दूसरी मंजिल, सी ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली।

9. निराश्रित गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रय गृह।

10. इन्द्रा गांधी मातृत्व सहयोग योजना।

इन योजनाओं के अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निम्नलिखित गृह चलाए जा रहे हैं।

1. निर्मल छाया, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड़, नई दिल्ली।

2. अल्पावास सदन, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली।

3. महिला आश्रम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली।

4. अभय महिला आश्रम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली।

बाल कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है :-

1. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 21 बालगृह चलाए जा रहे हैं।

2. 41 बालगृह एवं 15 ओपन सेंटर होम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं।

3. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 बाल कल्याण समितियां चलाई जा रही हैं।

4. समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत 94 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत 10607 आंगनबाड़ी केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

ख) 1. बाल मजदूरी के खिलाफ समाचार पत्रो में विज्ञापन के माध्यम से जन जागरण किया जाता है।

2. ऐसे बच्चों को बाल विकास समिति के समक्ष पेश करने के उपरान्त बाल विकास समिति बाल मजदूरी कराने वाले नियोक्ता के विरूद्ध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

ग) भिक्षावृति रोकने के लिए निम्न कदम उठाये जा रहे है

1. भिक्षुओं को पकड़ने के लिए बम्बई भिक्षावृति निरोधक अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दिल्ली राजक्षेत्र में भी इसको विस्तारित कर 1960 से एक भिक्षुक अदालत, पुअर हाउस, किंग्सवे कैम्प में कार्यरत है इसके अलावा दो भिक्षुक अदालत (मोबाइल कोर्ट) 01.09.2009 भी कार्यरत है।

2. विभाग द्वारा चलाये जा रहे 11 प्रमाणित भिक्षुक गृह (दो महिला भिक्षुक गृह सम्मिलित) में मुफ्त रहना, खाना, चिकित्सा, मनोरंजन, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाये, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं परामर्श जैसी सुविधाये इत्यादि दी जाती है ताकि वे भीख मॉगने की आदत से दूर रहे और आत्मनिर्भर बन सके।

3. भिक्षुओं को पकड़ने के लिए दस्तामार छापा/रेड टीम कार्यरत है, जो दिल्ली के विभिन्न जगह पर रेड करती है।

4. बायोमैटिक मशीन को प्राप्ति एवं वर्गीकरण केन्द्र आरसीसी में स्थापित किया गया है जिससे कि दूसरी बार पकड़े गये भिक्षुओं की पहचान आसानी से हो जाती है व इनका सांख्यिकी आंकडा भी बनाकर रखा जाता है।

5. छापामार दस्ता को और मजबूत करने के लिए 20 पुलिस कार्यकर्ता के पद के लिए माननीय उपराज्यपाल ने अनुमति दे दी है।

458. श्री मालाराम गंगवाल :- क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली में लाड़ली योजना के तहत कितनी गरीब बालिकाएं इस योजना का लाभ उठा रही है?

ख) सरकार ने लाडली योजना के शुरू होने से अब तक (2012 तक) बालिकाओं के कितने फार्म पंजीकृत किए हैं?

ग) मादीपुर विधानसभा में लाड़ली योजना के शुय होने से सन् 2012 तक कितने फार्म विभाग स्वीकार कर चुका हैं?

घ) क्या मादीपुर विधानसभा में लाड़ली योजना के फार्म रद्द भी किए गये हैं उपकी संख्या क्या है?

समाज कल्याण मंत्री :-

क) दिल्ली लाड़ली योजना के तहत 4.77 लाख बालिकाएं अभी तक पंजीकृत हो चुकी है तथा 38,914 बालिकाएं अपनी परिपक्वता राशि प्राप्त कर चुकी हैं।

ख) अब तक 4.77 लाख बालिकाएं पंजीकृत हुई हैं।

ग) वर्ष 2011-12 में 1,06,585 बालिकाओं के फार्म स्वीकृत किए गये हैं।

घ) लाड़ली योजना में फार्म का रिकार्ड विधानसभा क्षेत्र के अनुसार नहीं रखा जाता हैं, अत: मादीपुर विधानसभा का आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।

ड) उपरोक्त के अनुसार।

श्री मोहन सिंह बिष्ट :- क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) करावल नगर विधानसभा में किन-किन क्षेत्रों के अंतर्गत एस.सी/एस.टी. परिवार के सदस्य ज्यादा संख्या में रहते हैं, उनका विवरण दें,

ख) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा जनगणना विभाग द्वारा ई.बी. को ही मान्यता दी जाती है,

ग) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि जनगणना करने वाले कर्मचारी ऐसी जगह नहीं पहुंच पाते हैं जहां एस.सी./एस.टी. परिवार के लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं,

घ) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस प्रकार लाभ मिलेगा, और

च) उसके लिए सरकार क्या योजना बना रही है, पूर्ण विवरण दें।

लोक निर्माण मंत्री :-

क) जनगणना 2001 के अनुसार करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले वार्डो की प्रगणक ब्लाक स्तर पर कुल व अनुसूचित जाति की जनसंख्या से सम्बन्धित विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े केवल जिला व तहसील स्तर पर जारी किये गये हैं। जनगणना 2011

के वार्ड स्तर पर ऑकड़े अभी जारी नही किये गये है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कोई भी अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है। अत: उनके ऑकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है।

ख) दिल्ली सरकार द्वारा अ.जा./ज.जा. बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत गलियों व चौपाल के निर्माण कार्य ई.बी. संख्या के आधार पर अ.जा./ज.जा. की 33 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के आधार पर किये जाते हैं।

ग) जनगणना करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक इकाई को जिला, तहसील, वार्ड, गांव इत्यादि के अन्तर्गत प्रगणक ब्लाकों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक प्रगणक ब्लाक में एक प्रगणक नियुक्त किया जाता है, एक प्रगणक ब्लाक सामान्यत नगरी क्षेत्र 120 परिवारों तथा ग्रामीण क्षेत्र में 150 परिवारों का बनाया जाता है। प्रगणकों को प्रत्येक घर में जाकर परिवारों के सभी सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करनी होती है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय के हों। जनगणना के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्रचार किया जाता है तथा जनसाधारण से जनगणना न होने की शिकायत प्राप्त होने पर उनकी जनगणना करवाने के लिए सम्बन्धित चार्ज अधिकारी के माध्यम से तत्परता से कार्यवाही की जाती है।

घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं।

ड) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

459. श्री अनिल कुमार :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रह रहे खानाबदोश (बन्जारे/लोहार) समुदाय के लोगों की जनसंख्या कितनी हैं;

ख) क्या दिल्ली सरकार द्वारा इन खानाबदोश (बन्जारे/लोहार) समुदाये के लोगों के लिये किसी भी प्रकार सुविधाये दी जाती है; यदि हां तो कौन-कौन सी, विस्तारपूर्वक जानकारी दी जायें; यदि नहीं तो क्यों;

ग) क्या इन खानाबदोश (बन्जारे/लोहार) समुदाय के लोगों का पहचान पत्र/राशनकार्ड आदि बनाया जा सकता है; और

घ) यदि हां, तो किस आधार पर, व इसका पूर्ण विवरण दिया जायें व यदि नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) अनु.जा./ज.जा./अ.पि.व/अल्प संख्यक कल्याण विभाग के पास यह ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार के जनगणना निदेशालय द्वारा भी अभी तक इस तरह की जानकारी एकत्रित नहीं की गई। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग जातिगत सूचना एकत्र कराने हेतु एक सर्वे करवा रहा है जिसकी रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं गई है।

ख) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूची में बंजारा जाति को दिल्ली में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। सरकार द्वारा बंजारा/लोहार समुदाय को लोगों के लिये अलग से कोई योजना नहीं है। विभाग द्वारा जो भी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वह सब अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व./अल्प संख्यक समुदाय के लाभार्थ हैं, जिसका ब्यौरा अनुलग्नक 'क' पुस्तकालय में उपलब्ध है।

ग एवं घ) सूचना सम्बन्धित विभागों से एकत्रित कराई जा रही हैं।

5. प्रार्थी की सभी स्त्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय पाँच लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. स्वीकृत ऋण के अनुसार सरकारी गारन्टी उपलब्ध करानी होगी। जिसमें गारन्टर का शुद्ध वेतन 5000/- रूपये या उससे अधिक हो तथा उसकी सेवानिवृति में कम से कम 15/20 वर्ष शेष हों।

वोकेशनल ट्रैनिंग

1. प्रार्थी दिल्ली का स्थायी निवासी हो।
2. प्रार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो।
3. प्रार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रूपये से अधिक न हो।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु क्षेत्रीय एस.डी.एम द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा अल्पसंख्यक हेतु शपथ पत्र।

460. श्री सुनील कुमार वैद्य : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

ख) क्या विभाग उपरोक्त वर्गो को यह लाभ पहुंचाने के लिए त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र में कैम्प लगाकर ये सभी सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं;

ग) विभाग द्वारा उपरोक्त वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं का विवरण क्या हैं;

घ) क्या त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र में जमीन/स्थान उपलब्ध करवाने पर विभाग द्वारा शाखा कार्यालय खोला जा सकता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) जी हॉ।

ख) अ.जा/ज.जा./अ.पि.व/अल्य संख्यक कल्याण विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार कैम्प लगाकर जन जागरण का कोई प्रावधान नहीं हैं।

ग) अनुलग्नक 'क' पर उपलब्ध हैं।

घ) अ.जा/ज.जा./अ.पि.व/अल्प संख्यक कल्याण विभाग केन्द्रीयकृत रूप से कार्यरत है। शाखा कार्यालय खोलने की कोई योजना नहीं हैं।

462. श्री साहब सिंह चौहाण :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) वर्ष 1998 से मार्च, 2012 तक प्रत्येक वर्ष में कितने व्यक्तियों को रोजगार कार्यालयों से रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं?

ख) उपरोक्त समय में प्रत्येक वर्ष कितने-कितने बेरोजगारों का पंजीकरण रोजगार कार्यालयों के अनुसार तथा कुल वर्ष अनुसार रोजगार के लिए पंजीकृत हुए है?

ग) सरकार की रोजगार नीति क्या है? तथा सरकारी विभागों में विभिन्न श्रेणियों के रोजगार के लिए सरकार की क्या भूमिका है?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) कुल योग 11160

सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

ख) सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

कुल योग : 1332978

ग) दिल्ली रोजगार निदेशालय के अन्तर्गत रोजगार कार्यालयों की कार्यविधि को अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए बेरोजगार व्यक्तियों एव अन्य संबंधित निकायों को अधिक सुगम व पारदर्शिता पूर्ण रोजगार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालयों के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। विभाग द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण, पंजीकरण में संशोधन, नियोक्ताओं से रिक्तियों की सूचना की प्राप्ति एवं रोजगार हेतु पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों के नाम नियोक्ता को प्रेषित करने संबंधित सभी सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से 15.06.2009 से ऑन-लाइन उपलब्ध करायी जा रही है।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा स्वरोजगार हेतु विभिन्न विभागों द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है :-

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
2. राजीव गांधी स्वावलंबन योजना
3. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
4. स्वर्ण जयंती रोजगार योजना
5. बेरोजगार युवकों को व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी अन्य सूचना उपलब्ध कराने का कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जा रहा है।

463. श्री मतीन अहमद :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि अल्पसंख्यकों को रोजगार देने की कोई योजना है?

ख) यदि हाँ, तो रोजगार के लिए कौन सी योजना चलाई जाएगी और कब तक चलाई जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) रोजगार निदेशालय में ऐसी कोई योजना अभी तक नहीं है।

ख) 'क' के आधार पर यह लागू नहीं है।

464. श्री कृष्ण त्यागी :- क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) पिछले 20 वर्षों में (मार्च 2012 तक) दिल्ली के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कितने नाम दर्ज हुए हैं?

ख) उक्त समयावधि के बीच वर्षानुसार कितने लोगों को रोजगार दिया गया है?

ग) दिल्ली सरकार के रोजगार विभाग पर पिछले पाँच वर्षों में उक्त समयावधि के बीच वर्षानुसार कितना खर्च किया गया है?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) कुल योग -3178061

सूची संलग्न है।

ख) कुल योग - 70073

सूची संलग्न है।

ग)

वर्ष	प्लान	नॉन प्लान	टिप्पणी
2007-2008	रू. 5.90 लाख	रू. 397.00 लाख	कुल वेतन व कंटीजेंसी
2008-2009	रू. 1.26 लाख	रू. 529.82 लाख	कुल वेतन व कंटीजेंसी
2009-2010	रू. 50.00 लाख	रू. 745.05 लाख	कुल वेतन व कंटीजेंसी
2010-2011	रू. 58.20 लाख	रू. 619.80 लाख	कुल वेतन व कंटीजेंसी
2011-2012		रू. 619.30 लाख	कुल वेतन व कंटीजेंसी
कुल	**रू.115.36 लाख**	**रू. 2909.97 लाख**	

465. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :- क्या लोग निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के रोजगार निदेशालय में एक्स-काडर रोजगार अधिकारी कार्यरत हैं, उनके नाम क्या है?

ख) क्या यह भी सत्य है कि इन एक्स-काडर रोजगार अधिकारियों को रू. 5400/- ग्रेड पे दिया गया है।

ग) यदि हॉ, तो कब से?

लोक निर्माण मंत्री :-

क) रोजगार अधिकारियों के नाम व पद

1.	श्री एस. के. पराशर	रोजगार अधिकारी
2.	श्री आर.पी. धीरन	रोगकार अधिकारी
3.	श्री एस. पी. सिंह	साईकोलोजिस्ट/रोजगार अधिकारी
4.	श्री आर.के. मीना	सहायक केरियर परार्मशदाता (एसीसी)
5.	श्री एम. के. पराशर	सहायक केरियर परार्मशदाता (एसीसी)
6.	श्रीमती शशी सिंह	व्यवसाय सूचना अधिकारी (ओ.आई.ओ.)

ख) नहीं।

ग) यह लागू नहीं है।

नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदय :- शोएब साहब हो गया अब तो। श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली नगर निगम में कार्यरत गरीब दैनिक वेतन व एवजीदार सफाई कर्मचारियों की दयनीय हालत की ओर दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का निगम में खुलकर शोषण किया जा रहा है। कर्मचारियों को न तो समय पर वेतन मिलता है और न ही उनको मिलने वाले अन्य लाभांश जैसे वर्दी, तेल, साबुन आदि का लम्बे समय से भुगतान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम में सफाई मजदूरों के साथ बड़े पैमाने पर भेद भाव किया जा रहा है। इसमें कई कर्मचारी जो 2003 तक लगे हुए थे उनको नियमित कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, किन्तु खेद का विषय है कि केवल सफाई मजदूरों का नियमित का मामला वर्ष 1996 से पेंडिंग हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब जब वे आन्दोलन के लिए कहते हैं तो सरकार भी हमारी उसमें एन्वाल्व रहती है और उनका फैसला हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि 17-17, 18-18 साल से सफाई कर्मचारी केवल अस्थायी पड़े है। मेरा आपकके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि नगर निगम को कह कर जो लम्बे समय से कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, उसको नियमित करवायें ओर उनकी जो और पेंडिंग डिमाण्डस हैं उनको भी दिलवाया जाये, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे यहां जो विभिनन विश्वविद्यालय बोर्ड और अन्य संस्थाओं में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं, उनको तो डिग्री या डिप्लोमा जारी कर दी जाती है, मगर जिन परिक्षार्थियों को कम्पार्टमैन्ट या रि-एपीयर श्रेणी में आ जाते हैं, उनको परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी

जो अनुसूचि जारी की जाती है, उसको उनमें नहीं जोड़ा जाता हैं मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से दिल्ली नर्सिंग काउंसिल द्वारा ऐसी पद्धति न अपनाकर अगर उनको भी कंसोलिटेडिट मार्क शीट जारी कर दी जाये। इसके लिए चाहे उनसे अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाये। ताकि उनको भी उस सूची में बैठाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय :- चौ. मतीन अहमद जी।

चौ. मतीन अहमद जी :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि सीलमपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ब्रहमपुरी में दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई विभाग, दिल्ली सरकार का एक अंग्रेजी शराब का ठेका है। और यहां पर मुस्लिम आबादी की बहुतायत है। जहां से लोग शराब लेकर आस पास में शराब पीते हैं। रोज दंगा करते हैं। इस ठेके को बंद करने के लिए क्षेत्र के लोगों ने यहां कई दिन से धरना भी दे रखा है। मुस्लिम आबादी होने के कारण यहां काफी रोष है। और इस शराब के ठेके के कारण यहां के नौजवानों और बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके 100 मीटर की दूरी में स्कूल भी है, मंदिर भी है और मदरसा भी है। अध्यक्ष महोदय, यहां के लोगों की भावनाओं को देखते हुए और नौजवानों पर पड़ रहे बुरे असर को देखते हुए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस ठेके को तुरन्त बंद किया जाये या कहीं दूसरी जगह ट्रांस्फर किया जाये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आबकारी विभाग किसके पास है।

मुख्यमंत्री :- सर, मैं इसको देखूंगी कि क्या कर सकते हैं हम लोग।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री ए. दयानन्द चंदीला ए.।

श्री ए. दयानन्द चंदीला ए. :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और सदन का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे यहां अनधिकृत निर्माण इतना जबरदस्त हो रहा है कि आज तक तो वहां पानी और सीवर की कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन एक एक फीट की दूरी पर जब एक ही मकान में

7-7, 8-8 कनैक्शन पानी के लिए जा रहे हैं तो उससे बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। मेरी करबद्ध प्रार्थना हैं कि अनधिकृत निर्माण जो वार्ड न. 105, 106, 107, 108 में हो रहा है, दिल्ली नगर निगम से कहकर इस पर रोक लगाई जाये। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- श्री सुरेन्द्र कुमार।

श्री सुरेन्द्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा देने का वादा करती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि स्कूलों में बैठने के लिए डैस्क नहीं हैं। टाट पट्टी नहीं हैं, बिल्डिंग नहीं हैं, अध्यापकों का अभाव हैं एक क्लास में 125 से 150 बच्चे हैं। बच्चे स्कूल से गुम हो जाते हैं, नदारद हो जाते हैं। क्योंकि स्कूलों में अध्यापकों का अभाव है। जो अध्यापक कांट्रेक्ट पर रखे जाते हैं, तथा सरकार उनको जो 10-15 हजार रू. वेतन देती है उससे उन अध्यापकों का भविष्य अंधकारमय है। उनके साथ अत्याचार तथा धोखा है। क्योंकि अध्यापक एम.ए., बीएड, एमएससी. डबल एमए हैं। उन अध्यापकों को भी रेगुलर अध्यापकों की तरह वेतन दिया जाये। क्योंकि ये भी अध्यापक आपकी सरकार के मतदाता हैं। एक तरफ तो रेगुलर अध्यापक को 40-50 हजार वेतन दिया जाता है। तथा जो कांट्रेक्ट पर हैं उनको 10-15 हजार रू. वेतन दिया जाता है। उनके साथ कम्पनी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उनकी योग्यता पर जो अंकुश लगा दिया गया है या मल्टी नेशनल कम्पनी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़े दुख की बात है। सरकार क्या कर सकती है, क्यों ऐसा अत्याचार कर रही है। जिससे बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय न हो। उनका भविष्य उज्ज्वल हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि जो अध्यापक कंट्रैक्ट बेसिस पर रखे हैं, उनको रेगूलर किया जाए तथा उन सभी को क्योंकि सरकार नई नई नौकरी ला रही है। उनको उनकी योग्यता के आधार पर भी उनको भी उसी में रेगूलर किया जाए। जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर से उनका भविष्य उज्जवल हो

सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री बलराम तँवर जी।

श्री बलराम तँवर जी :- अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। मैं एक ऐसी समस्या की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे एरिया छतरपुर, महरौली जितना भी ये एरिया है। इस एरिया में बंदरों का बहुत आंतक हो गया है। दिल्ली के सारे बन्दर हमारे एरिया में डाल दिए गए। उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। वो बस्तियों पर, घरों पर घूमते हैं। वो लोगों के घरों में घुस जाते हैं। उनके फ्रिज खुद खोल लेते हैं। वो बच्चों को, औरतों को कुछ समझते ही नहीं है। बच्चे और औरतें बहुत घायल हो चुके हैं। इसके लिए सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि वो बन्दर बस्तियों तक न जा पायें। उनके लिए कोई ऐसा इंतजाम किया जाए। यह मैं सरकार से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री तरविन्दर मारवाह जी।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह :- अध्यक्ष जी, मैं आपका और मुख्यमंत्री जी का ध्यान एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारे किसान भाई हैं। उनके ऊपर जो अनपढ़ हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत ही अनसुनी कर रहा है। उन्होंने दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 को एक आर.टी.आई लगाई। उसमें उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक एडीशनल कमिश्नर, रूम नंबर 810, आठवीं मंजिल, मयूर भवन, कनाट प्लेस से उन्होंने पूछा कि हमें जो एवार्ड में हमारी जमीन ले ली जाती है। उसके लिए जो मुआवज़ा मिलता है। उसके लिए जो चैक बनता है। उस पर टी. डी.एस. काटा जाए या नहीं। इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या पॉलिसी है। यह बताया जाए। चेतराम जी 10/1, सराय कालेखाँ में ये रहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बी.एम. लाम्बा, वार्ड-49 टीडीएस ने जवाब में दिया कि जो आपको

एवार्ड का चैक मिलता है, उसमें टीडीएस की कटौती नहीं की जा सकती । यह रिकॉर्ड पर है। यह आर.टी.आई के द्वारा मालुम पड़ा है। हमारा जा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। जो जब भी किसानों को एवार्ड के चैक देते हैं। उस वक्त उनको आज तक जो चैक दे रहे हैं। आज तक भी जो चैक दिया जा रहा है, वो किसानों से टी.डी.एस काटकर दिया जा रहा है और वो बार बार एस.डी.एम और डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन्स लिख रहे हैं कि हमारा टी.डी.एस. नहीं काटा जाए। लेकिन उन गरीब आदमियों की अध्यक्ष जी, कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है और वो जगह जगह पर जाते है औ हर चैक पर आज तक उनको टी.डी.एस काटकर दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं यह कहूंगा कि यह डिपार्टमेंट चाहे मुख्यमंत्री जी के पास है। लेकिन इसकी ओर ध्यान दें कि उन गरीब आदमियों को एक तो उनकी जमीन सस्ते दामों पर ली जाती है और किसानों ने ही दिल्ली को बसाया है। उनकी गॉवों की जमीन लेकर आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। हमारी सरकार भी हमेशा गरीबों के लिए सोचती है। वो किसानों के लिए सोचती है। जब मुख्यमंत्री जी आई थीं, उस वक्त उनको मुआवजा बहुत कम मिलता था। आज मुख्यमंत्री जी ने उनका मुआवज़ा बहुत अधिक कर दिया है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि आप किसानों का हमेशा ध्यान रखती हैं इस बारे में भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि उनको जो चैक दिया जाए। उसमें टी.डी.एस न काटा जाए। अध्यक्ष जी, बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष जी, वालिया जी जवाद दे दे। देखो ये सबूत के साथ, या तो सबूत न हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह रिटिन में और यह देखो मैं आपको दिखाना चाहता हू।

अध्यक्ष महोदय :- जब आप बोल रहे थे डॉक्टर साहब थोड़ी देर से सदन में आये हैं। वे आपको बाद में बतला देंगे।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह :- अध्यक्ष जी, मैं वालिया जी को सिर्फ इतना बतलाना चाहता हूं कि आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंन्ट वाले किसानों को एवार्ड का जो चैक देते हैं। वो किसानों को टी.डी.एस. काटकर चैक दे रहे हैं। यह रूकवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं डॉक्टर वालिया से अनुग्रह करूंगा कि वो आपको बाद में लिखकर जवाब भिजवा दें। श्री जय किशन जी।

श्री जय किशन :- अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से 280 में खाद्य मंत्री जी के सामने प्रार्थना की। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना है कि सिविल सप्लाई का रवैया रॉशन लाइसेंसधारियों का बेहत खराब हो चुका है। राशन अधिकारी भी FPS Holder भी दोनों मिलकर के जनता को राशन नहीं दे रहे हैं। अभी एन.जी. ओ. सिस्टम मैंने डाला है। मैंने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है। जिन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी का बताया है और जिन एन.जी.ओ. को हमारी एसेम्बलियों में कार्य करने की स्वीकृति दी है वो एन.जी.ओ. ठीक नहीं हैं। बहुत सारी N.G.O. fraud हैं और एसेम्बली के मेम्बर के एरिया में उनकी राजय से N.G.O. को आईडेन्टिफाई किया जाए। उन N.G.O. को काम दिया जाए। अध्यक्ष जी, अगर डिपार्टमेंट ने इस पर रोक नहीं लगाई तो हमें वहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जायेगी। बहुत सारे भष्ट राजनेता उस N.G.O. में सम्मिलित हैं। मैं सारेआम कह रहा हूँ। मेरी एसेम्बली में ऐसे लोगों को N.G.O. का काम दिया गया है। जो खुद भ्रष्ट है। जो हर तरीके से जनता की नजरों में गिरे हुए हैं। वो कई कई बार चुनाव लड़ते हैं। मैंने लिखा है और वो लोगों से, पाटियों से पैसा खाते है और वो N.G.O. चला रहे हैं और सिविल सप्लाइज के बारे में अधिकारियों से मिलकर के पूरा राशन FPS Holders से मिलकर FPS Holder हम सरेआम अंगूठा दिखाते हैं। वे कहते हैं कि जो करना हो कर लो। हमारी डिपार्टमेंट में पूरी पकड़ है। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अध्यक्ष जी, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा और N.G.O. वहाँ पर लूटने के लिए बैठा दिए हैं। उनको तुरन्त रोका जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाह रहे हो।

श्री माला राम गंगवाल :- अध्यक्ष जी, कल हाई टैशन वायर झुग्गियों के ऊपर से जा रही थी, उसकी वजह से एक हादसा हो गया है। उससे दो लोग बुरी तरह

से जल गए। एक 25 साल का नौजवान और एक 38 साल का नौजवान उससे पूरी तरह से झुलस गए और उनको पहले डी.डी.यू. हॉस्पीटल लेकर गए। लेकिन वहाँ उसको स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद उसको सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वो गरीब आदमी जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, उन लोगों को अगर कुछ मदद के रूप में क्योंकि उनकी इलाज कराने की क्षमता नहीं है। अगर दिल्ली सरकार की तरफ से उनकी कुछ मदद हो जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर उपचार के लिए कुछ न कुछ राशि दे दी जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मैडम ने इस तरह का देने का शायद पहले ही एनाउंस कर रखा है तो इस पर विचार कर लेंगे। अब श्रीमती शीला दीक्षित जी जन शिकायत आयोग, दिल्ली सरकार को पुलिस शिकायत प्राधिकरण घोषित करने के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या सं.फा. 12/04/2011 एआर/1630-1789 सी दिनांक 27.02. 2012 की हिंदी-अंग्रेजी की प्रति सदन पटल पर रखेंगी।

Chief Minister : Sir, I wish to lay copy to the notifications No. F.12/ 04/2011/AR/1630-1789/C dated 27.2.2012 regarding declaration of Public Grievances Commission, Govt. of NCT of Delhi as "Police Complaint Authority."

अध्यक्ष महोदय :- अब श्रीमती किरण वालिया, समाज कल्याण मंत्री दिल्ली किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियम, 2009 में संशोधन करने के संबंध में दिनांक 15.06.2011 को जारी अधिसूचना सं.फा. 1(267)/सीडब्ल्यूसी. साओएमएम/डीडी (सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/010/6746-773 / सीडब्ल्यूसी. सीओएमएम/डीडी(सीपीयू)/डीडब्लयूसीडी/010/6746-73 की हिन्दी-अंग्रेज प्रति सदन पटल पर रखेंगी।

श्रीमती किरण वालिया :- अध्यक्ष जी, दिल्ली किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियम 2009 में किये गये संशोधन की हिन्दी अंग्रेज प्रति सदन पटल पर रखती हूं।

विधेयक का पुर:स्थापन

अध्यक्ष महोदय :- अब श्रीमती शीला दीक्षित जी, दिल्ली मूल्य सवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक 212 (2012 का विधेयक संख्या 10) को हाऊस में इन्ट्रोडयूज करने की परमीशन मांगेगी।

Chief Minister : Sir, I bag to introduce "Delhi Value Added Tax (Amendment) Bill, 2012 (Bill No. 11 to 2012) with the leave of the House.

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब मुख्मंत्री जी, बिल को हाऊस में हाऊस में इन्ट्रोडयूज करेंगी।

Chief Minister : Sir, with your permission, I beg to introduce the Bill "Delhi Value Added Tax (Amendment) Bill, 2012 with your kind permission, I beg to Introduce the Bill.

विधयेक पर विचार

अध्यक्ष महोदय :- अब डॉ. ए.के. वालिया, स्वास्थ्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 31 मई 2012 के सदन में पुर:स्थापित दिल्ली विवाह पंजीकरण विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या - 7) पर विचार किया जाये।

Minister of Health (Dr. A.K. Walia) : Honourable Speaker, Sir, I seek the permission of the August House to move "The Delhi Registration of Marriages Bill, 2012 introduced in the House on 31st May, 2012 be taken into consideration.

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब स्वास्थ्य मंत्री बिल के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगे।

Minister of Health (Dr. A.K. Walia) : Honourable Speaker, Sir, "The Delhi Registration of Marriages Bill which was prepared in pursuance of the directions date 14.2.2006 given by the Hounable Supreme Court provides for the registration of all marriages solemnized in the NCT of Delhi. With the commencement of this Act, every marriage solemnized or contracted in Delhi or solemnized or contracted out of Delhi at any place in the country by a person who normally resides in Delhi, shall be registered in the manner

provided in the Act within a period of sixty days from the date of marriage. This Act will provide the record of marriage and to a large extent, the disputes concerning solemnization of marriages between two persons is avoided. It also provides the evidence of the marriage having taken place and as a great evidentiary value in the matter to custody of children, right of children born from the wedlock of two persons and the age of the parties to the marriage. It shall be the responsibility of each of the parties to a marriage to get the marriage registered with the concerned Register of Marriage.

The Bill was approved by the Cabinet on 1.8.2011 and thereafter, it was referred to MHA for granting approval to the draft bill of GNCTD. approval of the Central Government of Introduction in the Legislative Assembly of Delhi.

Section 4, the DCs of the districts shall be the Principal Register of Marriage for each revenue area of Delhi. Section 7. Under this section, the procedure for the submission of memorandum for registration of marriages has been elaborated. The party or any person marriage in the memorandum of be submitted in duplicate in the prescribed from duly signed by the parties to a marriage alongwith at least one witness from each side to the Register of Marriages of the area within a period of sixty days from the date of marriage alongwith the fees as may be prescribed by the Government in the regard. Provided that the Government may, by a notification in the official gazette, exempt any category or classes of persons from the payment of the registration fee under this sub-section. The memorandum for registration of a marriage may also be submitted after the expiring of the prescribed period of sixty days upon payment of such fees as may be prescribed by the Government in the regard. Section 10 which provides that any marriage solemnized or

contracted before the commencement of this Act by the persons who normally reside in Delhi, if not already registered under any other law, may be registered under this Act. Section 11. Under this Section, the procedure for the registration of marriage has been elaborated. Section 12, Information of marriage registered under any other law to be forwarded to the Principal Registrar of Marriages. Section 17. The provision of punishment of offence as failure to apply for registration of marriage, the parties are liable to pay a fine on conviction which may extend to rupees ten thousand.

As per the Financial Memorandum, the implementation of 'Delhi Registration of Marriages Act' after its passage will involve a recurring expenditure of rupees twenty crore and rupees one crore non-recurring expenditure per annum towards infrastructure, staff and logistics. An estimated of rupees twenty five lakh per annum is likely to be generated due to the registration of marriage in the form of registration fees of rupees ten. Thank you Sir.

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा ..... अंतरबाधा।

श्री शोएब इकबाल :- अध्यक्ष जी, इस में हम अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं और मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर थोड़ा सा विचार कर लें।

अध्यक्ष महोदय :- किस पर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं।

श्री शोएब इकबाल : जी जो ये मैरिज बिल है उस पर हमारी थोड़ी आपत्ति है तो उस पर कृपा करके थोड़ा सुन ले तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री :- मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जब से इसके रूल्स और रेग्यूलेशन हम बनाएंगे तो उसमें हम सबसे डिस्कस करेंगे क्योंकि

दिल्ली में सभी धर्मों के लोगों को कोई प्रोब्लम न आये उस बात पर जरूरर ध्यान रखा जायेगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट की डारेक्शन थी कि यह बिल पास किया जाये परंतु जो रूल्स और रेग्यूलेशन बनेंगे उसमें ध्यान रखा जायेगा।

श्री शोएब इकबाल :- जो पनीशमेंट वगैरहा की बात है क्या उसमें भी अमेंडमेंट कर लेंगे आप।

स्वास्थ्य मंत्री :- ये जो रूल्स नोटिफाई होंगे उसमें इसको सबको सिम्लीफाई किया जायेगा और उसके अंदर क्योंकि मैंने काफी लोगों से कंसर्न किया है और काफी स्टेटस में यह इम्पलीमेंट हुआ है जैसे कि, महाराष्ट्र में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है तो उनके भी क्या रूल्स और रेग्यूलेशन बनेंगे वो भी हम देखेंगे। अपने यहां भी जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, उन सबसे डिस्कशन करके रूल्स और रेग्यूलेशन बनाएंगे जिससे कि हर चीज प्रोपर्ली और फिजीबल बनें।

श्री शोएब इकबाल :- क्या आपको इस सेलेक्ट कमेटी में भेज सकते हैं, अगर जरूरी न हो, तो उसमें सारी बातचीत हो जाएगी, अगर सेलेक्ट कमेटी में आप भेज दें तो यह मुनासिब है इसमें पूरी दिल्ली, हर कौम इसके अंदर, अध्यक्ष महोदय, बड़ा अहम, बहुत सेंसेअिव मैटर है, इससे पहले भी हुआ है कई मामलों के अंदर सेलेक्ट कमेटी के अंदर ऐसे बिल आ चुके हैं क्योंकि इसमें कई धर्म, कई जातियाँ और कई लोग उसमें मुल्लविस हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी विनती है कि इसको सेलेक्ट कमेटी के अंदर भेज दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ बिजेन्द्र महोदय जी।

डॉ. बिजेन्द्र सिंह :- अध्यक्ष जी, मैं शोएब इकबाल जी की बात का समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि आदरणीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा एक बार एक्ट पास होने के बाद आपके रूल्स एक्ट को prevail नहीं कर सकते सर, तो आपकी तो यही इसमें प्रोविजन रखना पड़ेगा। धन्यवाद।

स्वास्थ्य मंत्री :- अध्यक्ष जी, क्योंकि माननीय सदस्यों की जो राय है कि इसको सेलेक्ट कमेटी को रैफर कर दें तो यह प्रपोज करता हूँ कि इसको सैलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- अभी जो बिल डॉ. वालिया साहब ने इंड्रोडयूस किया था उसको सैलेक्ट कमेटी में भेजना है या नहीं, इस पर वोंटिग होगी -

जो सैलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में हैं, वे हाँ कहे,

जो इसके विरोध में है वे ना कहे,

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सैलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाएगा।

अब डॉ. ए.के. वालिया, स्वास्थ्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 31 मई 2012 को सदन में पुर:स्थापित 'न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या - 8)' पर विचार किया जाये।

Health Minister : Honourable Speaker, Sir, I seek the permission of the August House to move "The Court Fees (Delhi Amendment) Bill, 2012 introduce in the House on 31st May, 2012 be taken into consideration.

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रस्ताव सदन के सामने है -

जो इसके पक्ष में है वे हॉ कहे,

जो इसके विरोध में है वे ना कहे,

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव प्रास हुआ।

अब स्वास्थ्य मंत्री बिल के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगे।

Health Minister : Honourable Speaker, Sir, there has been no revision of Court fees in the NCT of Delhi since 1958. The Government proposes to revise the Court Fees and Introduce e-court Fees, payment of Court Fees electronically by the Court Fees (Delhi amendment) Bill, 2012.

At present the annual revenue generated on account of Court Fees is about fifty five to sixty crores. After revision of the Court Fees, additional revenue of about rupees five hundred crores will be generated. So, I will request that this may kindly be approved, Sir.

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा। प्रश्न है कि खंड-2 व खंड-3 विधेयक के अंग बने -

जो इसके पक्ष में हैं वे हॉ कहे,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे,

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खंड-2 व खंड-3 विधेयक के अंग बन गये।

अध्यक्ष महोदय :- अब प्रश्न है कि खंड-1, प्रस्तावना, शीर्षक एवं अनुसूची विधेयक का अंग बने-

जो इसके पक्ष में हैं वे हॉ कहे,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे,

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खंड-1, प्रस्तावना, शीर्षक एवं अनुसूची विधेयक का अंग बन गये।

अब स्वास्थ्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक 2012 (2012 का विधेयक संख्या-8)' को पारित किया जाये।

Health Minister : Honourable Speaker, Sir, I move that "The Court Fees (Delhi Amendment) Bill, 2012 be passed.

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रस्ताव सदन के सामने है -

जो इसके पक्ष में हैं वे हॉ कहे,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे,

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ, विधेयक पारित हुआ।

अब डॉ. ए.के. वालिया, स्वास्थ्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 31 मई, 2012 को सदन में पुर:स्थापित 'भारतीय मुद्रांक (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-9)' पर विचार किया जाये।

Health Minister : Honourable Speaker, Sir, I seek the permission of the August House to move "The Indian Stamp (Delhi Amendment) Bill, 2012 introduce in the House on 31st May, 2012 be taken into consideration.

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रस्ताव सदन के सामने है -

जो इसके पक्ष में हैं वे हॉ कहे,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे,

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब स्वास्थ्य मंत्री बिल के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगे।

Health Minister : Honourable Speaker, Sir, in the Indian Stamp Act, 1899 as applicable in the NCT of Delhi, presently inthe articles of association of a company, the chargeable Stamp Duty in respect of authorized share capital of the company as per Article 10 of Schedule 1 (a), in the case of increase in the authorized share capital, companies used to pay the Stamp Duty as per Article 10(b) of the Schedule 1 (a).Write Petition no. 2393 of 2010 in the High Court of Delhi challenging the chargeability of the Stamp Duty in the case of increase/enhancement in authorized share capital of company on the ground that there is no clause in the Article 10 which specifically provides for imposing Stamp Duty on the increased authorized share capital. Honourable High Court of Delhi accepted petition and passed order in favour in this matter which resulted in revenue loss to the Government. While the Government has filed an appeal in this case and got stay against the said order, it has also been decided to amend the Act to bring in clarity so that other companies may not take some plea and the State gets its legitimate Stamp Duty. Hence, it is proposed to amend the Schedule 1(a) of the Principal Act in its application to the NCT of Delhi and add Clause (c) to Article 10 clearly specifying the Stamp Duty payable when the authorized share capital is increased. Stamp Duty is payable at 0.15% of the increase in authorized share capital with a monetary ceiling of Rupees twenty five lacs. It will help the Government to collect the legitimate Stamp Duty amounting upto twenty five lacs on increase in authorized share capital by company which the Government is likely to lose dut to the decision of the Honourable High Court of Delhi against the Delhi Government.

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खंड-2 विधेयक का अंग बने -

जो इसके पक्ष में हैं वे हॉ कहे,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे,

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खंड-2 विधेयक का अंग बन गया।

अध्यक्ष महोदय :- अब प्रश्न है कि खंड-1, प्रस्तावना, शीर्षक एवं अनुसूची विधेयक का अंग बने -

जो इसके पक्ष में हैं वे हॉ कहे,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे,

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खंड-1, प्रस्तावना, शीर्षक एवं अनुसूची विधेयक का अंग बन गये।

स्वास्थ्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'भारतीय मुद्रांक (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-9)' को पारित किया जाये।

Health Minister : Honourable Speaker, Sir, I move that "The Indian Stamp (Delhi Amendment) Bill, 2012 be passed.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है -

जो इसके पक्ष में हैं वे हॉ कहे,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे,

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ, विधेयक पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, बजट पर 16 सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं नहीं समझता, अब इससे अधिक किसी को कुछ कहा जाना चाहिए। क्योंकि प्रेस के साथी भी इस इंतजार में है कि मुख्यमंत्री जी बजट पर बोले। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वो बजट पर अपना वक्तव्य दें।

मुख्यमंत्री :- ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। Sir, as usuall the Members of the Opposition, particularly, the BJP Party, is not here and it is disappointing for us. This has been happening, I think, forthe past several years now that come and criticize the budget which is also misleading most of the time not based on facts, memories are worn out. So, anything they feel like speaking, they do that. But, when it comes to a debate, when our Members speak and their Members, we would like them to participate because I am quite sure that with the presence of the Opposition, we will also be able to learn something, be guided by whet they say. But, unfortunately, they have decided like all the years to skip this and, therefore, I am going to say what we, as a Government and what has motivated us as a Government, to present this Budget to the Delhi Assembly which is a unique Budget. It is a Budget which has been made primarily keeping in view the fact that we would like to make Delhi हमारा सपना रहा है कि दिल्ली का हम हम अच्छा सुन्दर और वर्ड-क्लास बनाये। उस सपने को पूरा करने के लिए हम बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और इसमें हम समझते हैं कि यह बजट जब कार्यान्वित होगा तब दिल्ली एक सचमुच में Friendly City बनेगा एक comfortable city बनेगा रहने के लिए एक daring city बनेगा और एक modern city बनेगा जो मुकाबला और किसी सिटी से या किसी और सोशल सेक्टर से बड़ी आसानी से कर सकता है और न केवल करेगा

उसमें अच्छे नम्बरों से पास भी होगा। सर, मैं कुछ आंकड़ें आपको पहले देना चाहूंगी जो ऑलरेडी बजट स्पीच में थे लेकिन उसके बावजूद भी मैं दोहराना चाहूंगी। सबसे पहले तो मुखी जी ने कहा था कि कितने लोन के नीचे यह सरकार दबने वाली है। मैं इनकी जानकारी के लिए और अपनी यादाशत के लिए, सब अपने मैम्बरों की यादाश्त के लिए बताना चाह रही हूं कि यह जीरो लोट बजट है। इसमें हमने अधिकांश अपने ही पैसे से अपना काम किया है हमने निर्भर जो केन्द्र की सरकार से या उससे बहुत कम अपनी निर्भरता को किया है। उसको अगर जो देखा जाये 90 या 95 परसैंट अपने ही रिसोर्सिज से अपना काम चलायेंगे और केन्द्र की सरकार से हम कम मांगेंगें जिसमें यह दर्शाता है कि हमने, हमारे अफसरों ने, हमारे डिपार्टमेंटस ने जितने भी टैक्स लगाते हैं उप टैक्सीज को इकट्ठा करने में पूरी ईमानदारी बरती है और टैक्स का ग्रोथ भी हमारा बहुत ज्यादा आगे से बढ़ा है। तीसरी बात मैं पहले ही कहना चाहती हूं कि अगर जो पिछले साल की भी हम तुलना करें तो पिछले साल हमने 59 परसैंट हमारा टोटल प्लान आउट ले सोशल सर्विस सेक्टर को दिया था। अब की बार इस प्लान बजट में हमने यह 59 परसैंट से ले करके 65 परसैंट इसको कर दिया। हमें एक अच्छा मौका मिला था कि कॉमन वेल्थ गेमस में जो बहुत सारे निर्माण के कार्य हुए वो जो शायद 5 साल 6 साल 10 साल में होते वो हमें एक मौका मिला, जल्दी एक deadline meet करने के लिए कर सके। इसलिए हमारे पास आज उन लोगों के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं या जिनको सरकार की सहायता की जरूरत हो, चाहे वो विकलांग के रूप में हो, बीमार के रूप में हों, वृद्धावस्था के रूप में हों और आवाम को भरपेट रोटी मिल सके उसको ज्यादा से ज्यादा लेबर हो, कोई भी उसको तनख्वाह मिल सके और उसको रहने का शकून मिल सके चाहे बिजली हो चाहे पानी हो उन सब के लिए एक इंसानियत की नजरिया से हमने इस बजट को बनाया है। मैं यह भी कहना चाहती हूं जो कह रहे थे कि पता नहीं कितना बोझ, कर्ज में डूबे हुए हैं कि हमारा जो debt, GSDP Gross State Domestice Product ratio जो है वो 16.04, 2007-08 में था। 2011-12 में ये 9.43 परसैंट हो गया। I which is the lowest in the country और इससे ज्यादा कोई लो है नहीं। अगर

हम जो और अन्य कारणों पर नजर लगायें तो हमें यह देखना पड़ेगा कि Tertiary Sector जो 1993 में जब बीजेपी की सरकार थी वो 70.95 परसैंट था। आज हमारी सरकार ने यही Tertiary Sector 82.27 परसैंट हो गया। हमारा जो Approved Plan Outlay था 3800 करोड़ 2011-12 यानी पिछले साल, अब की बार 1500 करोड रूपया 2012-13 में हो जाएगा। यानी पैसा हमारे पास ज्यादा आयेगा, हम पैसा ज्यादा खर्च कर सकेंगे। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहती हूं that per capital Plan Expenditure went up from 2892 rupees to 8700 rupees in the past ten years इसमें से out of this 8700 rupees and I would like my honourable Members to please listen to this carefully, out of this rupees per capital expenditure of 8700 rupees, 5682 per capita is in the social Sector यानी आपको हेल्थ की आसानी होगी आपको diabetese हो आसान होगा हम सैंटर खोल रहे हैं और कर रहे हैं ऑलरेडी कैंसर का अच्छा ईलाज हो रहा है। लीवर का अच्छा ईलाज हो रहा है किसी को विदेश नहीं जाना पड़ेगा अपना लीवर ठीक करवाने के लिए और डायलेसिज के सैंटर खोले जा रहे हैं क्योंकि हमारे डाक्टर साहब, वालिया जी को मालूम है कि डायलेसिज की कितने लोगों की जरूरत है। हैल्थ सेक्टर में ये। बच्चों के हम जो पैसे देते हैं जो उनकी शिक्षा पर खर्च करते हैं उसको डबल ही नहीं कर दिया है बल्कि उनके ज्यमेट्री बाक्स या अन्य जो चीज़ें हैं, उनको भी दिया जायेगा जिससे आसानी से वे अपने स्कूल में पढ़ाई कर सकें और उनको ऐसा महसूस न हो कि हम किसी और बच्चे से जिनके माता पिता ज्यादा कमाते हैं उनसे कम हैं।

दूसरा मैं यह कहना चाहती हूं कि इसकके साथ-साथ यह नहीं हुआ कि हमारे अस्पताल न बढ़ें हों, यह भी नहीं हुआ है कि हमारे बच्चे न पढ़े हों, हमारे अस्पताल आज 42 के करीब है जो चल रहे हैं। इनमें से चाहे कैंसर वाला हो, चाहे हमारा लीवर वाला हो जैसे मैंने कहा या हमारा जो इबहास वाला है जो साइकोलॉजी की ट्रीट करता है। वह इस हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया माने जाते हैं। सर, आप जानते हैं कि हमारे ऊपर कितना बोझ जनता का पड़ता है। हमारे अस्पताल हों या स्कूल्स हों या

कोई भी हमारी चीज हो, हमारे यहां दिल्ली में हर साल 5 लाख लोग आ जाते हैं। उनको बिजली देना, पानी देना घर देना वगैरहा सब हमारा कर्त्तव्य बन जाता है जितना उनको चाहिए मिल रहा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि बिना पानी के हम रह रहे हैं पीने का पानी जरूर मिलता है और कोने कोने में मिलता है। तो जो हमने तरक्की की है उसमें न केवल दिल्ली के निवासियों को फायदा हुआ है बल्कि आसपास के लोगों को भी फायदा हुआ है एनसीआर रीजन को फायदा हुआ है। आज एनसीआर रीजन हिन्दुस्तान का सबसे खुशहाल रीजन माना जाता है and that is because Delhi is the epicenter of this NCR region. Please don't forget that.Sir, total enrolment of our schools has been from 33.95 lakh in 2006-07 to 37.38 lakhs in 2009-10 बच्चे आए हैं और स्कूल्स में आए हैं। हमारे सीबीएसई के जो रिजल्टस आए है या 10वीं कक्षा के हुए वे निरन्तर बढ़ते चले जा रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा बढ़ता चला जा रहा है। बल्कि मैं गर्व से यह कहना चाहती हूं that today our public schools do not have a better results than our Government schools. Otherwise, everybody used to run and say that I want my child to be educated in a public school. But, today, we have as long a line for our Pratibha Vidyalayas and other our vidyalas where children come and study there and we are proud that all our children are doing well. Sir, I have already spoken about some of the health this things. I would like to say about Power. Twenty minutes of outages today are considered scandalous. People don't want to look even bare twenty minutes of outages. But, Sir, there is a reason for that. The consumption of power in Delhi from the period when the BJP was in power here which was around 1800, 1900 MWs, today, about four days ago, touched the record of over 5100 MWs. We have increased our power production in Delhi. Bawan is going to give us now 750 MWs. There have been delays beyond our control because we could not get the gas that is required for it but we have got it today and in a couple of months we should be able to get 750 MWs. 125-130MWs Pragati-1 is already giving us. Jhajjar

where we contributed mony to Haryana to see that the coal-based Power Station was made is producing power not to be extent that we had expected it to produce but that is because of the shortage of coal in India. But, in spite of all these shortages, I would like everybody to know that you look at the scenario all around the Northern India, you will find that there are outages of ten hours, eight hours, five hours and six hours, here there may be outages of an hour, fifteen minutes, twenty minutes that is there. I admit that. I would also like to say that where the cost of electricity is concerned, we are the lowest in country. If you step across to Haryana, Sir, or you step across to Noida, people pay fifteen rupees per unit for their electric power. They do that because there is no electricity available and it all has to be produced by private companies. So, we are doing our best and I can only promise this August House and the citizens of Delhi that we will continue to do our best and to see that everything is improved as per the requirements and the living standards of the people of Delhi. Sir, the green cover, we have said it very often, has increased enormously from a mere 37 Square Kilometers, we are over three hundred square kilometers today. Anybody who comes to Delhi looks at the green cover. This is in spite of the fact that land is limited, in spite of the fact that water is very limited, we have managed to make this into a really, truly beautiful green city. Sir, I would like to mention a little bit about the roads. The total length of roads in Delhi increased from twenty eight thousand five hundred and eight kilometers in 2001-02 to thirty one thousand four hundred and thirty two kilometers in March, 2012. Sir, this is not a mean achievement. जहाँ पर हमें पता नहीं कितनी एजेंसीज के पास जाना पड़ता है कि हमें इजाजत दीजिए कि हमें यह सड़क बनानी है, कभी कोई कहीं एएसआई की बिल्डिंग आ जाती है, कभी एमसीडी आ जाती है कभी कोई आ जाती है कभी कुछ हो जाता है। इसके बावजूद हम लोगों ने यह किया है क्योंकि हमने एक

लगन थी निष्ठा थी और हमारी पार्टी का आदेश यह रहा है कि आपको सार्वजनिक काम करने में रूचि सबसे पहले लेनी है और कोई काम नहीं है। सर, ट्रांसपोर्ट को देखिए, मैट्रो तो सभी को दिखाई देती है, लेकिन एक बहुत ही अमीर घराने की बहू हफ्ता दस दिन पहले मेरे पास आई थी उसने कहा कि मैट्रो की तो कोई मिसाल ही नहीं है वह कह रही थी कि दुनिया भर में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन जब उसने यह कहा कि मैं आपकी ग्रीन बस और एयरकंडीशन बस में चढ़ी तो मुझे ऐसा आनन्द आया और मुझे लगा कि अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यह मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रही हूं यह सत्य बता रही हूं आपको। मुझे खुद आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लवली जी को हमारे मंत्री महोदय को हमेशा कहती रहती हूँ कि बसों को ठीक करो, यह नहीं है वह नहीं है स्क्रैच पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जब उस लड़की ने मुझे बताया तब मैं खुद हैरान हुई और मुझे अच्छा लगा कि यहां का जो बहुत अमीर तबका है उसने भी इसको स्वीकारा है कि यहां पर दिल्ली में तरक्की हुई है। साफ सुथरा लगने लगा है, आगे बढ़ने लगा है सर, मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊंगी कि अगर जो real terms growth in Delhi in GSDP in 2011-12 was at 11.3% it is far above the 6.9% at the national level. आप मुझे यह बताइए कि हम लोग कहते रहते हैं कि बहुत खराब है दिल्ली में यह नहीं वह नहीं, लेकिन अगर आप पूरे देश की तस्वीर में दिल्ली को देखें और आपको यह पता चलेगा कि that contribution of Delhi in the GDP of India और यह ध्यान से सुनिएगा कि contribution of Delhi to the national level GDP is about 3.8% while the share of Delhi in the total population of our country is only 1.4% 1.4 परसेंट इस देश की जनता 3.8 परसेंट GDP देश को देती है, आप सब लोगों को गर्व होना चाहिए और मैं कहती हूं कि हम सबको गर्व है कि हमारी दिल्ली के लोग कह सकते हैं।

हाँ, हम देश की सेवा भी कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से उसकी मदद कर रहे हैं। पर कैपिटा इन्कम सर क्या थी? इस साल 1.76 लाख एवरेज रही है पर कैपिटा इन्कम। एवरेज ही नहीं, पर कैपिटा ही रही है और नेशनल फीगर क्या है? 60972.

एक प्रान्त, छोटा सा दिल्ली 432 स्क्वैयर किलोमीटर का दिल्ली, 1.76 लाख कमाता है और सारे देश ने 60972 लाख कमाया है, जिसमें चेन्नई, मुम्बई वगैरह वगैरह सभी का योगदान है। तो क्या आपको और हमको दिल्ली हमारी शान नहीं लगती है? काम किया है हमने, लोगों ने मेहनत की है। मौके को अपने हाथों में लिया है, आगे बढ़े हैं। ये आपकी और मेरी वजह से नहीं है। ये दिल्ली के निवासियों ने जिन्होंने एक मौके को पकड़ा और आगे बढ़े। ये उनका भी कमाल है। सर, मैं छोटे से आंकड़े आपको देकर अब उन बातों पर आना चाहती हूँ Which we want to do as the first time in any city in this country. First is, we are introducing a new scheme called 'Delhi Annashri Scheme'. ये है दो लाख उन गरीब परिवारों को जो 4 लाख बीपीएल फेमिलीज रजिस्टर्ड हैं, उनके अलावा बाकी को दी जाएगी। जो दिल्ली सरकार अपने पैसे से देगी। 600 रू. महीना प्रति परिवार को मिलेगा। जिससे वह अपना आटा, दाल व चावल ले सके। इसका प्रचार करना चाहिए। हम भी करेंगे। क्योंकि दो लाख लोगों को 600 रू. महीना मिल जाये। जब कि मिनिमम लेबर भी सबसे हाएस्ट है दिल्ली में उसके अलावा उसको 600 रू. दिल्ली सरकार देगी। तो कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए जो भूखा रह जाये। ये अबकी बार हम दो लाख कर रहे हैं। सफलता के बाद हम चाहते हैं कि इसको हम बढ़ाते चले जायें जिसमें कोई भी ये न कहे कि हम दिल्ली में भूखे रहे। तो ये अन्नश्री योजना इसका लाभ गरीब से गरीब परिवार को पहुंचेगा।

दूसरा जो हमने बहुत बड़ा और अहम कदम उठाया है सर कि हम दिल्ली को केरोसीन फ्री करना चाहते हैं। जो परिवार लाख हों, 50 हजार हों, 80 हजार हों, परसैन्टेज में about 95, 96 आते हैं। जिनके पास गैस कनैक्शन एल.पी.जी हैं। 5, 6 परसैंट ऐसे लोग हैं जिनके पास गैस कनैक्शन नहीं हैं, आज भी कैरोसीन इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं की कितनी असुरक्षा रहती है इस केरोसीन को इस्तेमाल करने में वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी आग लगती है, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। तो हम इस कैरोसीन फ्री दिल्ली में 2000 रू. हम पहली मर्तबा देंगे कि आप अपना गैस का एक चूल्हा, एक गैस का सिलेण्डर खरीद लीजिएगा। तो ये जो है

चूल्हा उसको गैस का मिलेगा, सिलैण्डर उसको मिलेगा। और ये बात हमने केन्द्र की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से करने के बाद ऐलान किया है। पूरी दिल्ली को एक तो साफ सुथरा बनायेगा, पॉल्यूशन कम करेगा और परिवारों को भी इससे बहुत बहुत सहायता मिलेगी जब उनका एलपीजी कनैक्शन हो जायेगा।

सर इसके साथ साथ 1000 रू. उन लोगों को जो एचआईवी एडस का ट्रीटमैन्ट करवाते हैं, गरीब हैं, उनको दिया जायेगा। आर्फन चिल्ड्रन जो इन्फेक्ट होते हैं एचआइवी एडस से, उनको 2050रू. पर माह मिलेगा और 1750 रू. पर माह उनको मिलेगा जो एचआइवी एड्स से इन्फक्टेड हैं। कटरा के बारे में बहुत चिन्ता हमारे बहुत सारे एमएलएज को रही है। इनमें हम कॉमन सर्विसेज और फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने जा रहे हैं। D.U.S.I.B. इस काम को करेगा। इसके लिए फिलहाल 5 करोड़ रू. दिया गया है। लेकिन वह सीमा नहीं है। यदि और आवश्यकता पड़ेगी। तो और भी उसको दिया जायेगा। हम अपने डीसीज को 50 लाख रू. देते थे, My Delhi I care Fund में, बहुत मजाक हमारे बीजेपी के सदस्य उड़ाते हैं कि क्या भागीदारी है? क्या ये लोग हैं जो आरडब्ल्यूएज हैं। खुद भी इन्होंने प्रयास किया कि ये आरडब्ल्यूएज को अपने चंगुल में ले आयें। उनको लुभा दें लेकिन सक्सेफुल नहीं हुए। इसलिए कि हमारी दिल्ली की जनता को एहसास हो कि हमारा एमएलए तो हमें फण्ड देता ही है, सरकार तो हमारी सड़कें या पुल या वाटर सर्विसेज देती ही है, बिजली देती ही है। लेकिन यदि हमें कोई आवश्यकता है तो जो My Delhi I Care Fund है वो 50 लाख से 5 करोड़ रू. कर दिया है जिसमें RWAs और उसमें एमएलएज की राय भी शामिल होगी। कोई एमएलए ये न समझे कि हम सीधा पैसा दे रहे हैं।

जो हमारी रिसेटलमैन्ट कालोनीज 44 हैं, उसमें ये फैसला कर लिया गया है कि इन रिसेटलमैन्ट कालोनीज के जो ओरिजनल ऑनर हों, उनको मालिकाना हक तुरन्त दे दिया जायेगा। इसके बाद जो दूसरे के यहां चले गये हैं या कमर्शियल बन गये हैं, वे फ्लैट। तो उनमें जो भी हमारा मंत्रालय हमारे डॉ. वालिया तय करेंगे, उनमें कुछ न कुछ पैसा लेकर we will regularize them also so that these unsettled colonies

also get ownership rights. उनको भी अधिकार अपने मकान का हो। अर्बनाइज्ड और रूरल विलेजिज के डेवलपमैन्ट के लिए हमने एक्सट्रा फण्ड दिया है। 53 करोड़ हमने अर्बनाइज्ड विलेजेज को दिया है और 190 करोड़ दिया है हमने रूरल विलेजिज को। आप कह रहे हैं, आप इसे खर्चिये हम और पैसा दे देंगे। पैसे की कमी नहीं हम होने देंगे। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ। जब मैं टैक्स लगाती हूँ तो कह देते हैं कि हटाइये इस टैक्स को। तो कहाँ से लाऊँ? Anyway, तो ये सर इसमें करेंगे। पैसे की कमी नहीं होने देंगे। हमारे इको क्लब्स बच्चों के हैं। जिनकी वजह से मैं दावे से कह सकती हूँ कि दिल्ली हरी भरी बनी है और पेड़ पौधे पैदा हुए हैं, तो इन बच्चों के इको क्लब के कारण हुए हैं। इनको हम एक हजार रू. देते थे। अब हम दो हजार रू. इसको करने जा रहे हैं। ये सर मोटे तौर पर अगर आप देखें तो ये मोटे तौर से हमने कार्य करने की कोशिश की है और दिल्ली के निर्माण को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। एमएलएज का सजेशन था कि जो 4 करोड़ रू. उनको मिलता है। वो भी इन्क्रीज कर दिया जाये। .... सुन तो लीजिए। ताली पहले न बजाइये, सर इसमें मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि चार करोड़ रू. जो 70 एमएलएज को मिलता है, इसमें two hundred and fifty eight crore rupees is available with the MCD as on 31st March, 2010, it has not been spent. उन्होंने खर्चा ही नहीं किया है, भले ही रू. आपने उनको दे दिया है। वह खर्च नहीं हुआ है। दूसरा यूडी मिनिस्ट्री non-sanctioned amount जो इनके पास है, वो 62 करोड़ फण्ड है एमएलए लैड के नीचे। टोटल एमाउन्ट जो हमारे इस एमएलए लैड फंड में अनस्पेन्ट पड़ा हुआ है, जो खर्चा ही नहीं हुआ है अभी तक वह है 320 करोड़। आप इस 320 करोड़ को खर्च कर लीजिए मैं फिर आपको और रू. दूंगी। लेकिन हम रू. देते चले जायें। खर्च कर न पायें। एमसीडी हमारा काम न करे। तो उसमें कोई फायदा नहीं .... also, out of these four crores that I am giving you, we are giving one crore which should be given to Delhi Jal Board for all your works and this is in addition to what Delhi Jal Board will do anyway और ये प्लीज आप इस पर सोचिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि हम इन्क्रीज नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि आप इस

चीज को ..... आप काम करवा लीजिए जो ये 600 करोड़ रू. बिना इस्तेमाल के पड़ा हुआ है, उसको किस तरह से हम इस्तेमाल कर लें, फिर हम आपको और दे देंगे। आपको लगेगा यह भी कम हो जायेगा, हम और दे देंगे कोई प्राब्लम नहीं है।

..... अंतरबाधाएँ .....

श्री माला राम गंगवाल :- मैडम, जिन्होंने पैसा खर्च नहीं किया है, उनको न दें।

अध्यक्ष महोदय : गंगवाल साहब बैठ जाइय। मुख्यमंत्री जी को बोलने दीजिए।

मुख्यमंत्री : जिन्होंने सब खत्म कर लिया है, उनको देख लेंगे। आपके काम करवाने के और तरीके हैं, सब काम होंगे। आपके काम में रूकावट नहीं आयेगी।

सर, हम ने सोशल सैक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है और इसके लिए resource का realization की अत्यन्त आवश्यकता है। अगर हमारे पास resource ही नहीं होंगे, तो हम कैसे देंगे। हम उस परिवार को 600 रूपए कैसे देंगे कि भाइया तू अपना अन्न खरीद ले क्योंकि तू बहुत गरीब है। हम कैसे उसे केरोसिन की जगह एल.पी.जी. देंगे। जब वो गरीब है। लेकिन हम ने इसको किया है और यही कारण था कि हम ने सी.एन.जी. और टैक्सटाइल्स पर वैट लगाया था। लेकिन आप सब लोगों ने इस पर बहुत नाराज़गी जाहिर की। हमारे पास कुछ लोग मिलने के लिए भी आये और हमारी सरकार यह समझती है, हमारी केबिनेट और हम सब यह समझते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो वो इस वजह से बैठे हैं कि दिल्ली की जनता ने हमें यहाँ पर बैठाया है। उसकी पुकार हो, या उसकी कोई माँग हो। हम उसको नजर-अन्दाज नहीं कर सकते। भले ही हमें साल, दो साल अपनी बैल्ट को टाइट करना पड़े। इसलिए हम यह भी जानते हैं कि Price rise इस वक्त पूरे देश भर में सब से बड़ा मुद्दा है। हालाँकि दिल्ली में सब से कम Price rise रहा है। आप चाहे कोई भी चीज ले

लीजिए। आप चाहे पैट्रोल के दाम ले लीजियेगा। चाहे सी.एन.जी ले लीजिए। चाहे खाने के दाम ले लीजिए। आप कुछ भी ले लीजियेगा। पॉवर को ले लीजिए। वॉटर चार्जिज ले लीजिएगा। ये हमें मालूम है कि लोगों को इस वक्त Price rise परेशान कर रहा है। लेकिन हमारा स्टैन्डर्ड भी ऊँचा होता चला जा रहा है। हमारी तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं। जो हमारी कंस्ट्रक्शन लेबर से लेकर किसी और को भी दिल्ली में दिया जा रहा है वो देश में किसी भी शहर में या किसी भी स्टेट में नहीं हो रहा। लेकिन इसके बावजूद आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए I would like to respect the sentiments that you have expressed on behalf of your voters and your people in your constituencies, we have decidd to do away with VAT on CNG andVAT on textiles. और जो वैट्स था। हमे ने Price of Petrol पर exemption किया। वो continue करेगा। हम इसको उससे हटा देंगे। मुझे यह उम्मीद है, आशा है कि इस बजट से जो बहुत बड़ी मार प्राइसिस की हमारे दिल्ली के निवासियों पर पड़ रही है। वो कुछ मार कम होगी। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से यही नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि ये सारे जितने हम ने स्कीम्स बनाई हैं, वो उन लोगों तक पहुँच जाये, जो इसका अधिकार रखते हैं क्योंकि अगर हम सब मिलकर यह बात नहीं कहेंगे। हम जन जन तक नहीं पहुँचायेंगे तो जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। इस शब्दों के साथ सर, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया and I am very grateful to the House for having given a patient hearing. Thank you, Sir.

Hounourable Sir, the House may now please consider and pass the Demands for Grants from No.1 to 13.

अध्यक्ष महोदय :- अब सदन Demands पर डिमान्ड वाइज विचार करेगा।

डिमान्ड नंबर - 1 Legislative Assembly जिसमें कुल राशि 15 करोड़ 5 लाख रूपए रेवेन्यू में हैं। सदन के सामने है।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

डिमान्ड नंबर-1 मंजूर हुई

डिमान्ड नंबर -2 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें कुल राशि 1 अरब 4 करोड़ 13 लाख 20 हजार रूपए रेवेन्यू में है। सदन के सामने है।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

डिमान्ड नंबर-2 मंजूर हुई

डिमांन्ड नंबर -3 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जिसमें कुल राशि 4 अरब 18 करोड़ 55 लाख 90 हजार रूपए रेवेन्यू में है। सदन के सामने है।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

डिमान्ड नंबर-3 मंजूर हुई

डिमांड नंबर - 4 फाइनेंस जिसमें कुल राशि 2 अरब 22 करोड़ 49 लाख रूपए 50 हजार रूपए रेवन्यू में है और 33 करोड़ रूपए कैपिटल में है। कुल दो अरब 55 करोड़ 49 लाख 50 हजार रूपए हैं। सदन के सामने है।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

डिमान्ड नंबर-4 मंजूर हुई

डिमान्ड नंबर -5 होम जिसमें 3 अरब 22 करोड़ 47 लाख रूपए रेवेन्यू में है। सदन के सामने है।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

डिमान्ड नंबर-5 मंजूर हुई

डिमान्ड नंबर - 6 एजूकेशन जिसमें कुल राशि 45 अरब 32 करोड़ 32 लाख रूपए 50 हजार रूपए रेवेन्यू में है और 3 अरब 33 करोड़ 50 लाख रूपए कैपिटल में हैं। कुल राशि 48 अरब 65 करोड़ 82 लाख 50 हजार रूपए हैं। सदन के सामने है।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

डिमान्ड नंबर-6 मंजूर हुई

डिमान्ड नंबर -7 मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ जिसमें कुल राशि 29 अरब 32 करोड़ 72 लाख 45 हजार रूपए रेवेन्यू में है, सदन के सामने है।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

डिमान्ड नंबर-7 मंजूर हुई

डिमान्ड नंबर-8 सोशल वैलफेयर जिसमें कुल राशि 24 अरब 98 करोड़ 45 लाख रूपए रेवेन्यू में हैं और 15 अरब 39 करोड़ 70 लाख रूपए कैपिटल में हैं। कुल राशि 40 अरब 38 करोड़ 15 लाख रूपए है। सदन के सामने है।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

डिमान्ड नंबर-8 मंजूर हुई

डिमान्ड नंबर-9 इन्डस्ट्रीज जिसमें कुल राशि 3 अरब 15 करोड़ 38 लाख रूपए 50 हजार रूपए रेवेन्यू में हैं और 58 करोड़ 52 लाख रूपए कैपिटल में हैं। कुल 3 अरब 73 करोड़ 90 लाख 50 हजार रूपए हैं। सदन के सामने है।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

डिमान्ड नंबर-9 मंजूर हुई

डिमान्ड नंबर-10 डेवलपमेंट जिसमें कुल राशि

15 अरब 16 करोड़ 58 लाख रूपए 30 हजार रूपए रेवेन्यू में हैं और 3 अरब 12 करोड़ 96 लाख रूपए कैपिटल में है। कुल 18 अरब 29 करोड़ 54 लाख 30 हजार रूपए हैं। सदन के सामने है।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

डिमान्ड नंबर-10 मंजूर हुई

डिमान्ड नंबर-11 अर्बन डेवलपमेंट एण्ड पी.डब्ल्यू.डी. जिसमें कुल राशि 65 अरब 55 करोड़ 37 लाख रेवेन्यू में है और 71 अरब 57 करोड़ 91 लाख रूपए

कैपिटल में हैं। कुल राशि 134 अरब 13 करोड़ 28 लाख रूपए हैं। सदन के सामने है।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

डिमान्ड नंबर-11 मंजूर हुई।

डिमान्ड नंबर-12 लोन्स जिसमें कुल राशि 2 करोड़ 50 लाख रूपए कैपिटल में है। सदन के सामने है।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

डिमान्ड नंबर-12 मंजूर हुई

डिमान्ड नंबर-13 पेंशन्स जिसमें 1 अरब 25 करोड़ रूपए रेवेन्यू में हैं। सदन के सामने है।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

डिमान्ड नंबर-13 मंजूर हुई

सदन ने रेवेन्यू में 192 अरब 58 करोड़ 54 लाख 35 हजार रूपए व कैपिटल में और 94 अरब 38 करोड़ 9 लाख रूपए - कुल 286 अरब 96 करोड़ 63 लाख 35 हजार रूपए की राशि मंजूर की है।

Cheif Minister : Hounourable Speaker, Sir, I seek permission of the House to introduce Appropriation (No.2) Bill, 2012 to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the NCT of Delhi for the services of the Financial Year 2012-13.

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

Cheif Minister : Hounourable Speaker, Sir, I Intruduce "The Appropriation (No.-2) Bill, 2012" to the House.

अध्यक्ष महोदय :- अब बिल पर Clause wise विचार होगा

प्रश्न है कि खंण्ड-2 खंण्ड-3 एवं Schedule Bill का अंग बनें।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-2, खण्ड-3 व Schedule Bill का अंग बन गए।

अब प्रश्न है कि खण्ड-1 Preamble और Title Bill का अंग बनें।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-1 Preamble और Title Bill का अंग बन गए।

अब मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव करेंगी कि Appropriation No.-2] 2012 को पास किया जाए।

Cheif Minister : Hounourable Speaker, Sir, the House may now please pass the Appropriation (No.-2) Bill, 2012.

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इस पक्ष में हैं, वे हाँ कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

Appropriation (No. 2) Bill 2012 पास हुआ।

अब सदन की कार्यवाही 5 जून, 2012 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 5 जून, 2012 को अपराह्न दो बजे तक स्थगित की गई।)